राजस्थान विधान सभा

२६ वीं बैठक, बृहस्पतिवार, दिनांक—२७ मई, सन् १६५४ ई.

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में ५ बजकर ५ मिनट (मध्यान्होत्तर) पर प्रारम्भ हुई ।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ६३०

श्री अध्यक्ष—श्रीमती यशोदा देवी।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६३१

श्री अध्यक्ष—श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६)

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६३२

राजस्थान के पटवारियों को वेतन व ग्रेड

श्री चाँदमल मेहता—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में पटवारियों की तनख्वाह की ग्रेड क्या है ?

(ख) ऐसे कितने पटवारी हैं जिनको लोअर ग्रेड क्लर्क से भी कम तनख्वाह मिल रही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मन्त्री)—पटवारियों की ग्रेड ४०-१-५५ है। फोर्मर राजस्थान के १० पटवारियों के अलावा ४,०६७ पटवारी इसी ग्रेड में हैं, जो लोअर ग्रेड क्लर्क की ग्रेड से कम है। फोर्मर राजस्थान के १० पटवारी ६०.४. १००.५.१२० के ग्रेड में हैं।

श्री चाँदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री पटवारियों की जिम्मेदारी को देखते हुए मौजूदा ग्रेड को ठीक मानते हैं ?

Page No.2

श्री भोगीलाल पंड्या—पटवारियों की जिम्मेदारी और दूसरे कार्यों को देख कर ही यह ग्रेड तय किया गया है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह माननीय मन्त्री महोदय की जानकारी में है कि पटवारियों को रेकर्ड मेन्टेन करने के अलावा रकम वसूली का काम भी करना पड़ता है, जो कि एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम है और सरकार यह सब जानते हुए भी इनके मौजूदा लोअर ग्रेड को उनके लिये ठीक मानती है ?

श्री अध्यक्ष—ठीक मानना न मानना दूसरी बात है, आप क्वेश्चन अवर में क्वेश्चन पूछिये।

श्री चाँदमल मेहता—क्या सरकार इनके ग्रेड को रिवाइज़ करने का विचार कर रही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या— अभी कोई ऐसा विचार नहीं है।

श्री चाँदमल मेहता--तो क्या सरकार ने जो पहले आश्वासन दिया था वह गलत है ?

श्री भोगीलाल पंड्या--प्रश्नकर्त्ता की समझ में गलत आ गया हो तो बात दूसरी है वरना गवर्नमेंट ने तो ऐसा कहा नहीं।

श्री चाँदमल मेहता--बजट के वक्तव्य के समय रेवेन्यु मन्त्रीजी ने कहा था कि पटवारियों के ग्रेड को रिवाइज़ करने का मसला सरकार के विचाराधीन है और आपने अभी उत्तर दिया कि विचाराधीन नहीं है तो इन दोनों बातों में से कौनसी बात सही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—आप अपनी जानकारी से मालूम कीजिये, गवर्नमेंट की तरफ से उत्तर ठीक ही दिये जाते हैं।

श्री चाँदमल मेहता—आपके और उनके वक्तव्य में फर्क है, इसलिये पूछा है कि कौनसा सही समझा जाय ?

श्री भोगीलाल पंड्या--फर्क नहीं है, अगर हो तो आप निकाल लें।

श्री चाँदमल मेहता--उन्होंने फरमाया था कि विचाराधीन है और आपने फरमाया कि विचाराधीन नहीं है।

श्री भोगीलाल पंड्या—वैसे कई मामले सरकार के विचाराधीन हुआ करते हैं, अन्तिम निर्णय हो तब कुछ कहा जा सकता है।

श्री चाँदमल मेहता—अन्तिम निर्णय कब तक हो जायगा, इस पर प्रकाश डालें ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं २ ४ बार विचार जाहिर कर चुका हूँ कि अभी सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है।

(तीन सदस्यों का एक साथ प्रश्न करना)

श्री भोगीलाल पंड्या—एक साथ तीन सदस्यों ने प्रश्न किये हैं, मैं किन के प्रश्न का पहले उत्तर दूँ ?

श्री अध्यक्ष—एक मेम्बर प्रश्न कीजिये। One Hon'ble Member should put question at one time.

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—सरकार पटवारियों के नाम से जो रकम किसानों से वसूल करती है, क्या वह रकम सरकार पटवारियों को तकसीम करती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—वसूली, पटवारियों के नाम से जो की जाती होगी, वह उन्हीं को दी जाती होगी।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—पटवारियों के नाम से जो रकम एक इलाके में वसूल की जाती है क्या वह सारी रकम सरकार उस इलाके के पटवारियों को देने को तैयार है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—पटवारियों के नाम से जो रकम वसूल की जाती है वह उन्हीं को दी जायगी, सरकार अपने खजाने में जमा नहीं करेगी।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—जो रकम बच जाती है, क्या वह रकम किसानों को वापिस दे दी जावेगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—क्यों दी जावे ? जो पटवारियो की तनख्वाह के नाम से ली जाती है वह तनख्वाह के रूप में दे दी जावेगी।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—पटवारियों को तनख्वाह दे देने के बाद में अगर उस रकम में से बच जायगी तो क्या सरकार वह रकम किसानों को वापिस दे देगी ?

श्री अध्यक्ष—No.

श्री कँवरलाल जेलिया—क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि पटवारियों को इतनी कम तनख्वाह मिलती है इसलिए वे लोग काश्तकारों से कुछ न कुछ ले ही लेते है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी नहीं ?

प्रश्न सं० ६३३

किशनगढ़ सब-डिविजन में आवागमन की भारी कमी होते हुए भी चार के स्थान पर केवल एक ही सिविल अदालत

श्री चाँदमल मेहता—क्या न्याय मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री चाँदमल मेहता]

(क) क्या मन्त्री महोदय इस बात से परिचित हैं कि किशनगढ़ सब डिविजन में आवागमन के साधन की भारी कमी होते हुए भी सिविल की चार की जगह अब सिर्फ एक ही अदालत है जहाँ ८० मील दूर तक के फरीकेनों को आना पड़ता है और अपील के लिए १५० मील दूर तक जाना पड़ता है ?

(ख) क्या इससे न्याय मंहगा और अलभ्य नहीं होता है ।

(ग) क्या यह सही है कि एक अदालत होने से तीन-तीन माह की इजरायों की तारीखें पड़ रही है जिससे न्याय में बड़ी देर होती है ?

श्री टीकाराम पालीवाल (वित्त मन्त्री)—(क) न्यायालयों की स्थापना किसी स्थान विशेष की भौगोलिक स्थिति, मकानात, आवागमन के साधन पर अवलम्बित होते हुए भी अधिकांशतः अभियोगों की संख्या से प्रभावित होती है । किशनगढ़ स्थित तीन न्यायालयों को घटा कर दो करने और पुनः जुलाई सन् ५३ से एक ही रखे जाने का यह कारण है कि वहाँ अभियोगों की संख्या दो न्यायालयों के लिए पर्याप्त नहीं है ।

(ख) अभियोगों की संख्या न्यून होने के कारण इस प्रश्न की गम्भीरता उतनी नहीं रहती । जनता को, दीवानी अपील के लिए जयपुर आने के अतिरिक्त, जिनकी संख्या अत्यल्प है, कोई असुविधा भी नहीं है ।

(ग) विचाराधीन अभियोगों की संख्या अधिक नहीं है और पुराने अभियोग भी बहुत कम हैं, अतएव यह स्पष्ट है कि अभियोगों के निर्णय में अनावश्यक विलम्ब नहीं होता है ।

श्री चान्दमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री की जानकारी में है कि १०१) रु० की अपील करने के लिए लोगों को १५० मील दूर जयपुर में आना पड़ता है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मैंने बताया कि ऐसी संख्या बहुत कम है ।

चाँदमल मेहता—क्या सरकार के ध्यान में है कि यह संख्या कम होने का कारण, इतनी दूर से आना और ज्यादा खर्चा होने के कारण उनके पास पैसों का नहीं मिलना है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—ऐसा नहीं है । वहाँ केसेज़ ही कम है ।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि किशनगढ़ में पहले जनता को सस्ता न्याय पहुँचाने के लिए रूपनगर में सरकट कोर्ट कायम कर रखा था और क्या राजस्थान सरकार, किशनगढ़ में जो पहले सुविधाएँ थीं, वह कायम रखेगी ?

Page No.5

श्री टीकाराम पालीवाल—राजस्थान सरकार ने किशनगढ़ के साथ में न्याय देने वाले न्यायाधिशों की, जिनको थोड़ा वेतन मिलता था, वेतन बढ़ा........(अश्रव्य)

श्री चाँदमल मेहता—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि पहले भी न्यायाधीश एल. एल. बी. थे और अब भी एल. एल. बी. ही हैं, फिर न्यायाधीशों में क्या फर्क हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—केवल एल. एल. बी. होना ही उनकी योग्यता का परिणाम नहीं है।

श्री चान्दमल मेहता—विशेष योग्यता माननीय मन्त्री ने कौनसी बताई, क्या बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री टीकाराम पालीवाल—इसके लिये पब्लिक सर्विस कमिशन द्वारा या सिलेक्शन बोर्ड द्वारा चुना जाना चाहिये।

श्री चान्दमल मेहता—क्या यह सरकार की जानकारी में है कि मुन्सिफ कोर्ट और मेजिस्ट्रेट कोर्ट को एक किया जा रहा है ?....(अश्रव्य)

श्री टीकाराम पालीवाल—मैंने माननीय सदस्य को सीधी सादी बात बता दी, फिर भी टेढ़ी-मेढ़ी बातें क्यों दोहरा रहे हैं ?

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—क्या यह बात सही नहीं है कि माननीय मन्त्री ने यह फरमाया कि पहले जो, न्यायालयों में न्याय करने वालों को तनख्वाह मिलती थी, उससे अच्छी और अधिक मिलती है और अधिक योग्यता वाले व्यक्ति लिये गये हैं। क्या यह सही नहीं है कि न्यायालयों में पहले के मुकाबले में ऐसे आदमी रखे गये हैं जो उनके एसिस्टेन्ट रखने के काबिल भी नहीं हैं और उनकी तनख्वाह भी कम है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मैंने किशनगढ़ तहसील के लिये कहा था, बीकानेर के लिये नहीं।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—आपकी क्या जानकारी है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६३४

बीकानेर के जिप्सम कॉर्पोरेशन को दिये गये ठेके में मजदूर

श्री धर्मपाल पंवार—क्या व्यवसाय मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

Page No.6

[श्री धर्मपाल पंवार]

(क) जामसर बीकानेर में जो जिप्सम निकालने का ठेका बीकानेर जिप्सम कॉर्पोरेशन को दिया हुआ है उसमें काम करने वाले मजदूरों की कितनी संख्या है ?

(ख) आज तक इन मजदूरों को क्या सहूलियतें कॉर्पोरेशन ने दी हैं ?

(ग) क्या उक्त कॉर्पोरेशन में सरकार का भी कोई हिस्सा है ?

(घ) यदि हाँ, तो उसकी क्या शर्तें हैं ?

(ङ) सरकार को अब तक इसमें कितना लाभ हो पाया है ?

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री)--(क) काम करने वालों की दैनिक औसत संख्या ८०० के लगभग है ।

(ख) काम करने वाले मजदूरों के लिए बीकानेर जिप्सम लिमिटेड, बीकानेर अपनी ओर से निःशुल्क औषधि वितरण सस्ते भावों पर, अनाज के वितरण की व्यवस्था, पानी वितरण करने की व्यवस्था एवं बोनस वगैरह की सहूलियतों की व्यवस्था समय-समय पर करती है ।

(ग) उक्त कॉर्पोरेशन में राजस्थान सरकार का ३० प्रतिशत हिस्सा है ।

(घ) लीज़ एग्रीमेन्ट की धारा नं० ७, ८, ६, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८ सदन की मेज पर रख दी गई हैं ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

(ङ) सन् १६४६ से १६५३ तक सरकार को, रोयल्टीज़ के अलावा, लाभ के रूप में कुल ६६८०१/२/६ प्राप्त हुए हैं ।

श्री धर्मपाल पंवार—क्या यह सही है कि इस कारखाने को आगरा में यहाँ से शिफ्ट करने की योजना है ?

श्री चन्दनमल वैद--इसकी अभी कोई जानकारी मुझे प्राप्त नहीं है ।

श्री धर्मपाल पंवार—यदि कोई इस प्रकार की योजना हो तो हनुमानगढ़ में रखने की कोशिश की जावेगी ?

श्री चन्दनमल वैद--(अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट।

प्रश्न सं० ६३५

ग्राम मलारनाचौड़ (सवाई माधोपुर) के कृषकों से बाँध के कूंत किये हुये माल की रकम वसूली

श्री वीरेन्द्रसिंह--क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) सवाई माधोपुर (सब डिविजन, के मलारनाचौड़ गाँव के काश्तकारों से बाँध के कूंत किये हुए माल की रकम वसूली पर प्रति रुपया १ आना के हिसाब से झाड़शाही के बट्टे का कितना रुपया १९५३-५४ में वसूल किया गया ?

(ख) क्या सरकार कूंत या लटाई के माल पर झाड़शाही के बट्टे की वसूली को वाजिब समझती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (मन्त्री रसद विभाग)—माननीय अध्यक्ष, इस प्रश्न के जवाब जैसे आने चाहिये नहीं आये हैं इसलिए इसका जवाब अगली टर्न में दिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६३६

नरेना के किसानों को भू-राजस्व के जागीरदारों को तिहाई व चौथाई देना

श्री हरिकृष्ण व्यास--Will the minister for Land Revenue be pleased to answer :—

[a] Is the Government aware that besides the rent fixed for them the kisans of Narena have also to pay one third and one fourth share as land revenue to the Jagirdar ?

[b] Will the Government inquire into the matter and stop this loot of the Kisans ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मन्त्री)—(ए) जी नहीं। यह गाँव जागीर का है और फॉर्मर राजस्थान के समय से इस इलाके में वसूली सरकार द्वारा ही की जाती है। इसलिए किसानों द्वारा जागीरदार को अलावा लगान देने का प्रश्न नहीं पैदा होता।

Page No.8

[श्री भोगीलाल पंड्या]

(बी) यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह बात सरकार की जानकारी में है कि सरकार जो लगान वसूल करती है, उसके अलावा जागीरदार अलग से लगान वसूल करते हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—ऐसी जानकारी नहीं है। जब सरकार लगान वसूली करती है तो फिर जागीरदार कैसे वसूल कर सकते हैं ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—गैर कानूनी तरीकों से। क्या सरकार को इस प्रकार की सूचना है कि इस तरह की शिकायतें तहसीलदारों के सामने प्रस्तुत की गई हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं, वहाँ छोटे जागीरदार हैं, उन्होंने अपने हवाले की जमीन किसी को दी होगी, उससे अपने शेअर का लगान लिया होगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार ने भी उनसे लगान लिया जिनसे जागीरदारों ने लिया था ?

श्री भोगीलाल पंड्या—कैसे ले सकती है हवाले की जमीन... ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न सं० ६३७

श्री अध्यक्ष—श्री तेजमल बापना।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६३८.

किशनगढ से सिलोरा उदयपुर की सड़क बनाने का ठेका।

श्री चाँदमल मेहता—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) किशनगढ से सिलोरा उदयपुर की सड़क बनाने का ठेका किसको कितने रूपये में दिया गया ?

[श्री चाँदमल मेहता]

(२) इस सड़क के ठेकेदार को कितना रुपया अब तक दिया जा चुका है ?

(३) क्या यह सही है कि सडक अभी से खराब हो गई है और ठेके की शर्तों के माफिक नहीं बनी है ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—१. किशनगढ़ से सीलोरा उदयपुर को सड़क बनाने का ठेका श्री पी. ऐन. चड्ढा को दिया गया है। स्वीकृति टेन्डर के अनुसार कार्य का अनुमानतः मूल्य ६७६०० रू० होता है।

२. ठेकेदार को अब तक ५६६१० रु० दिया चुका है।

३. नहीं, ऐसा नहीं है, परन्तु ठेकेदार की तरफ सड़क की कुटाई में कुछ खराबियां पाई गई थी जिन्हें ठीक कराया जा रहा है। ठेकेदार को कुछ खराब काम की कुटाई की रेट, स्वीकृत रेट से कम करके दी गई है।

करीब ५,००० फुट मिट्टी जो खराब पाई गई वह सब अस्वीकृत करदी गई है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या सड़क का जो हिस्सा खराब है, वह ठीक कर दिया गया है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—में इसका जवाब दे चुका हूँ।

श्री चाँदमल मेहता—में सुन नहीं सका दुबारा पढ़ दीजिये।

(घन्टी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या ठेकेदार को इस प्रकार सड़क के रुपये देने से पहले उसका सार्टीफिकेट इश्यू कर दिया गया था कि यह सडक ठीक है और एप्रूवड है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—काम के पूरे होने पर यह दिया जाता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—बाद में एप्रूवल के माफिक नहीं पाई गई, उसके ज़रिये सरकार ने क्या कदम उठाया ?

श्री टीकाराम पालीवाल—यह एप्रूवल सब काम के बारे में नहीं था।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जिसने जितनी सड़क के काम को एप्रूव किया और इसका सर्टिफिकेट दिया उसके बारे में क्या कार्यवाही की है?

श्री टीकाराम पालीवाल—ऐसी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार इस बारे में जाँच करने के लिये तैयार है?

श्री टीकाराम पालीवाल—हां, जरूर।

श्री संतोष सिंह—यह सड़क ट्रैफिक चलने के बाद खराब हुई या पहले?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६३१.

राजस्थान में कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट के स्थान निर्धारण का आधार.

श्री सज्जनसिंह—क्या सामुदायिक विकास योजना मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान में कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट का स्थान निर्धारण किन विशेष आधारों पर किया जाता है?

(ख) समान आधारों वाले जिलों के बीच किन-किन विशेषताओं को ध्यान में रख कर इन कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट्स का अन्तिम स्थान निर्धारण किया जाता है?

(ग) अभी राजस्थान को २० नए कॉम्युनिटी प्रोजेक्टस विभक्त किये गये हैं, उनका राजस्थान के जिलों में किस आधार पर वितरण हुआ है?

श्री टीकाराम पालीवाल—१. राजस्थान में सामुदायिक विकास खण्ड भारत सरकार के निर्धारित आदेशों को ध्यान में रखते हुये उस जगह खोले जाते हैं जहाँ कि

Page No.11

[श्री टीकाराम पालीवाल]

कृषि सिंचाई तथा अन्य उन्नति के साधन उपलब्ध हैं तथा विकास कार्य के सुपरिणाम शीघ्र ही सामने आसकें।

२. समान आधार वाले जिलों में विकास खण्ड खोलने के स्थान का अन्तिम निर्णय पहले प्रश्न के उत्तर में कही हुई बातों को ध्यान में रखते हुए ही किया जाता है।

३. इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न (क) और (ख) दोनों के उत्तर में दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त विकासखण्डों के खोलने में तहसील, सब डिवीजन अथवा जिले को भी प्राथमिकता दी गई है, जिसके कुछ भागों में पहले ही विकास खण्ड खुले हुये है जिससे कि वह तहसील, सब डिवीजन अथवा जिला एक पूर्ण इकाई बन जाय। इसके अलावा ब्लॉक उन जगहों में भी खोलना आवश्यक है जहां कृषि सम्बन्धी ट्रेनिंग स्कूल खोले गये हैं जिससे कि ग्राम सेवकों को ब्लॉक के गाँवों में Practical Training मिल जाय.

श्री सज्जनसिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि पहले कौन-कौन से जिलों में कितने कितने कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट्स हैं?

श्री टीकाराम पालीवाल—प्रश्न मैं सुन नहीं पाया।

एक सदस्य--झुंझुनू में भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट है?

श्री टीकाराम पालीवाल—अब तक तो नहीं है।

श्री कँवरलाल जेलिया—क्या बूंदी जिले में भी बनाने की योजना नहीं हैं?

श्री टीकाराम पालीवाल—(अश्रव्य)

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या माननीय मन्त्री महोदय बतलावेंगे कि बीकानेर जिले पर उनकी इतनी कृपा दृष्टि क्यों है? वहाँ पर अब तक कोई कॉम्यूनिटी प्रोजेक्ट का विचार किया गया है?

श्री टीकाराम पालीवाल—कृपा-दृष्टि होते हुए भी जहाँ पर परिस्थिति

Page No.12

[श्री टीकाराम पालीवाल]

अनुकूल नहीं है और जहाँ साधनों की जो-जो आवश्यकता है वह भी उपलब्ध न होने के कारण वहां के लिए मजबूरी है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि इस प्रकार का विचार करते समय मिनिस्टरों की कॉन्स्टीट्युएन्सी को भी ध्यान में रखा जाता है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—यह कतई गलत है।

श्री सज्जनसिंह—कौन-कौन से ज़िलों में कितने कितने कॉम्युनिटी प्रोजेक्टस प्रर्याप्त हैं और कौन-कौन जिलों में नहीं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—यह प्रश्न अलग से पूछना चाहिये। मेरा निवेदन है कि यह ऐक साधारण बात है जिसको सभी सदन के लोग जानते हैं।

श्री अध्यक्ष—इसीलिए असंतोष है।

श्री खेतसिंह—क्या माननीय मन्त्री महोदय बतावेंगे कि पहले कॉम्युनिटी प्रोजेक्टस खोले गए थे, उसके अलावा एडीशनल डिस्ट्रीब्युशन किया गया है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—एडीशनल डिस्ट्रीब्युशन का प्रश्न ही नहीं है। कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट्स थोड़े उपलब्ध थे और स्थान ज्यादा था इसलिए जहाँ स्थिति की अनुकूलता हुई, वहाँ वहाँ प्रोजेक्टस खोले गये थे।

एक सदस्य—झुंझुनू जिले में कॉम्युनिटी प्रोजेक्टस क्यों नहीं खोला गया ?

श्री टीकाराम पालीवाल—वहाँ की परिस्थिति अनुकूल नहीं थी।

श्री चाँदमल मेहता—क्या जयपुर जिले में कोई कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जी हाँ।

(एक सदस्य बोलने के लिए प्रस्तुत)

श्री अध्यक्ष—Order ! Shri Sajjan Singh,

Page No.13

श्री सज्जनसिंह—क्या माननीय मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे कौनसे जिले हैं जहाँ कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट्स अधिक खोलने की आवश्यकता हुई और क्यों ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जहाँ सुविधा हुई वहाँ खोले गए ।

श्री चाँदमल मेहता—क्या सवाई माधोपुर जिले में सबसे ज्यादा हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—बिलकुल गलत ।

श्री सज्जनसिंह—ऐसे कौन-कौन से जिले हैं जहाँ अधिक कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट्स हैं और ऐसे कौन से जिले हैं जहाँ कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट्स नहीं हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—किसी जिले में एक से अधिक प्रोजेक्ट नहीं दिया गया है ।

श्री शम्भूसिंह—क्या यह सही है कि इसके लिए जो आधार माना गया था उसके अनुसार भी कॉम्युनिटी प्रोजेक्टस नहीं खोले गए ?

श्री टीकाराम पालीवाल—यह सम्भव नहीं था, लेकिन इसका कारण यह है कि जितने ब्लॉक्स और प्रोजेक्ट्स हमारे पास उपलब्ध थे वे खोल दिये जाँय और दूर-दूर स्थानों का नम्बर आ जाय ।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—क्या यह सही है कि गंगानगर जिले के रायसिंहनगर में पहले कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट है और करणपुर में खोलने का इरादा है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—एक्स्टेन्शन करने का इरादा है ।

श्री शम्भूसिंह—साधन और समान स्थिति होते हुए भी वहाँ क्यों नहीं खोले गए ?

श्री टीकाराम पालीवाल—समान स्थिति होते हुए भी अन्तर कहीं कहीं होता है ।

एक सदस्य—क्या यह सही नहीं है कि सवाई माधोपुर में पहले कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट होते हुए भी और दिए गये ?

श्री टीकाराम पालीवाल—नहीं दिए गए ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या एक्सटेन्शन ब्लॉक सवाई माधोपुर में दिया गया ?

Page No.14

श्री टीकाराम पालीवाल—जी हाँ दिया गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ऐसी क्या विशेषता थी कि सवाई माधोपुर की स्थिति ही अनुकूल पाई गई ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मैंने जो आपको पहले उत्तर दिया वह आपने सुना नहीं। सवाई माधोपुर ही नहीं जहाँ कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट्स खुले हुए हैं वहाँ अधिक एक्स्टेन्शन ब्लॉक्स दिए गए हैं, इस खयाल से कि पूरी इकाई बन जाँय। तीन ब्लॉक्स की एक इकाई बना करती है। दो प्रोजेक्ट्स और एक ब्लाक खोले गए थे जिसका अर्थ है कि दो स्थानों पर तीन-तीन ब्लॉक्स खोल दिए जाँय। लेकिन इस दृष्टि से कि भिन्न जगहों पर लाभ मिल सके दो प्रोजेक्ट्स के ६ ब्लाक और एक ब्लॉक सिवाय, कुल मिलाकर सात ब्लाक्स खोलने की सेन्ट्रल कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा विशेष अनुमति दी गई थी ? उस स्कीम को स्टिलट नहीं किया जा सकता था। अनुमति इसी आधार पर दी गई कि एक्स्टेन्शन ब्लॉक्स दिये जाँय। वे इसी प्रकार से दिये जावेंगे जहाँ जहाँ कि प्रोजेक्टस दिए गये हैं और यह ब्लॉक उनमें एड कर दिया जायगा, ताकि तीन-तीन की इकाई पूरी की जायगी।

श्री मोतीराम—जहाँ-जहाँ कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट्स हैं वहीं वहीं एक्स्टेन्शन ब्लॉक्स दे दिये जावेंगे ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६४०

खेतड़ी तहसील (जिला झुंझुनू) के कमी के क्षेत्र

घोषित होने वाले ग्राम

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Famine be pleased to answer:—

(a) How many villages in Khetri Tehsil, District Jhunjhunu have been declared as deficit area ?

(b) Why have the rest of the villages in that Tehsil not been declared as deficit ?

(c) Is the Government aware that the entire Tehsil is famine-striken ?

(d) Will the Government consider declaring the entire Tehsil as deficit ?

Page No.15

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मन्त्री)—(अ) खेतड़ी तहसील के ८ गाँव अभावग्रस्त घोषित किए गए हैं ।

(ब) अन्य गाँव अभाव ग्रस्त घोषित नहीं किए गए क्योंकि वहाँ पर वर्षा समय पर हो गई थी तथा वहाँ फसल की दशा भी ठीक थी ।

(स) पूरी तहसील में अभाव की स्थिति नहीं है ।

(ड) भाग (स) में दिए गये उत्तर के कारण यह प्रश्न पैदा नहीं होता ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि उन गाँवों के लोगों ने इस सिलसिले में रिप्रेजेन्टेशन भेजा है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इस सम्बन्ध में जाँच करवाई गई और जो रिपोर्ट आई उसके आधार पर जो ग्राम अभावग्रस्त, नियमानुसार, आते थे उनको अभावग्रस्त घोषित किया गया ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि रिपोर्ट के लिए कागज कलेक्टर के पास भेजे गए ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं । जिन गाँवों के विषय में कलेक्टर की रिपोर्ट थी उनको अभावग्रस्त घोषित किया गया ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि उन लोगों का रिप्रेज़ेन्टेशन गवर्नमेंट के पास प्रस्तुत हुआ था और उस रिप्रेज़ेन्टेशन को रिपोर्ट के लिए कलेक्टर के पास भेजा गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह आप नई जानकारी दे रहे हैं । वैसे कलेक्टर की रिपोर्ट पर तय किया गया था । अगर कोई दरख्वास्त होगी तो कलेक्टर के पास भेज दी गई होगी । मुझे उसका पता नहीं है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि रिपोर्ट के लिए कागज भेजे गए थे और उनका उत्तर अभी तक नहीं आया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मुझे इसका पता नहीं । आपकी ओर से आप जानकारी दे रहे हैं और जानकारी ले नहीं रहे हैं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सम्बन्धित मन्त्री महोदय को जानकारी होनी चाहिए । उनके हुक्म से यह हुआ है, उस कागज को रिपोर्ट के लिए भेजे हुए तीन महिने हो गए हैं और अभी तक

Page No.16

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

रिपोर्ट उनके पास आई नहीं है। रिपोर्ट मंगवाने के लिए आदेश भी सचिवालय से जारी कर दिए गए थे।

श्री भोगीलाल पंड्या—इसकी आवश्यकता नहीं है। अभावग्रस्त इलाका घोषित किया गया था जहाँ कि इसकी आवश्यकता थी। रुपया भी वहाँ भेजा गया और काम चल रहा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरा प्रश्न उस इलाके से सम्बन्धित है जिसको अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया। क्या इतना अर्सा बीतने के बाद भी रिपोर्ट न आने पर सरकार कोई कदम उठाने के लिए सोच रही है?

श्री भोगीलाल पंड्या—कोई आवश्यकता नहीं थी इसलिए उनको अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया, यह मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो जब माननीय मन्त्रीजी ने हुक्म निकाला था तो क्या बिना आवश्यकता समझे ही निकाला था और क्या बिना आवश्यकता के लिए ही उस कागज को रिपोर्ट के लिए भिजावा दिया गया?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह तो बड़ी डिफिकल्टी है साहब।

प्रश्न संख्या ६४१

नरेना तथा रूपनगर को बन्दोबस्त तथा जागीरदारों को परचों की प्रदानगी

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Land Revenue be pleased to answer :—

(a) Are the settlement operations over in Narena and Rupangarh ?

(b) Is it a fact that parchas for pastures have been given to the Jagirdars ?

(c) If the answer to (b) is in the negative, then is the Government aware that Jagirdars are charging grazing rates from the Kisans ?

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

(d) Will the Government take steps to restore the grazing grounds to the villagers or to stop the Jagirdars from charging grazing rates ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रेवेन्यु मन्त्री)—जी हाँ, उजरदारियों पर सुनवाई की जा रही है।

(ब) ५०३ बीघा १० बिस्वा और ६० बीघा १४ बिस्वा चारागाह का परचा नाराना ठाकुर जगदीशसिंह के नाम दिया गया है।

(स) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ड) यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो क्या सरकार उस चारागाह को वापिस गांव वालों को देने के बारे में सोच रही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—क्यों करें ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो कौनसा प्रश्न फिर सरकार के विचाराधीन है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने आपको बताया कि अगर उसमें से कम-ज्यादा करना हुआ तो सरकार उस पर विचार करेगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरे प्रश्न 'ड' के उत्तर में माननीय मन्त्रीजी ने फरमाया कि यह विचाराधीन है। प्रश्न 'ड' यह है कि—

"(d) Will the Government take steps to restore the grazing grounds to the villagers ?......"

तो क्या मैं यह समझूं कि चारागाह विलेजर्स को रेस्टोर (restore) करने के लिए सरकार के विचाराधीन है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं आपको बता चुका हूँ कि ५०३ बीघा १० बिस्वा और ६० बीघा १४ बिस्वा चारागाह का पर्चा नराना ठाकुर जगदीशसिंह के नाम दिया गया है और उसमें से कम, ज्यादा करने पर सरकार विचार कर सकती है। अगर कोई प्रार्थना-पत्र आया है तो उस पर विचार करके निर्णय दिया जायगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कब तक निर्णय होने की आशा की जाय ?

श्री भोगीलाल पंड्या—कार्यवाही चल रही है। जब समाप्त होगी तब तक।

श्री रावत शम्भूसिंह—खिला नाम जमीन (अन ओक्यूपाइड लेण्ड) हैं, वह क्या दर्ज कर ली जायगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—आपके वहाँ की जमीन के बारे में और यहाँ की जमीन के बारे में फर्क है सरकार ने जो किया है वह सोच समझ कर लिया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार जब तक कि इस मामले में निर्णय न हो जाय तब तक के लिए इन्टेरिम (interim) आदेश निकाल सकती है कि उनसे चराई न ली जाय ?

श्री भोगीलाल पंड्या—ऐसा हुक्म दे सकती है कि जब तक इस मामले में दूसरा निर्णय न हो जाय तब तक चराई टेक्स न ले।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६४२

खेतड़ी तहसील (जिला झुंझुनू) के बहुत से कुओं का जल सूखने के कारण सिंचाई सम्भव नहीं

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Agriculture be pleased to answer :—

(a) Is the Geverment aware that most of the wells in the khetri Tehsil of Distrilct Jhunjhunu have dried up ?

(b) Is the Government aware that because of this, no irrigation is possible ?

(c) Is it a fact that the Government has callected revenue for the lands which conld not be cultivated ?

(d) Has the Government received any representation from the Kisans of that area in this connection ?

Page No.19

[श्री रामकरण जोशी]

(e) Will the Government consider deepening of the wells or suspension of rent collections ?

श्री भोगीलाल पंडया (रसद मन्त्री)—(ए) इस इलाके के कुओं में पानी की सतह नीचे चली गई है।

(बी) यद्यपि कुओं में पानी की सतह नीचे चली गई है फिर भी कुओं द्वारा सिंचाई की जा रही है।

(सी) खेतड़ी तहसील में सरकार द्वारा राजस्व वसूल नहीं होता। ठिकाने द्वारा किया जाता है।

(डी) जी हाँ।

(ई) जब-जब लगान में छूट की आवश्यकता थी तब-तब छूट की गई। सम्वत् २००६ और सम्वत् २०१० में भी छूट दी गई थी। किसानों को कूए गहरे करने के लिए वाजिब रेट पर मशीनें किराये पर देने की सुविधा का प्रबन्ध किया गया परन्तु अभी तक किसी किसान ने इस सुविधा से लाभ नहीं उठाया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि लगान तो जागीरदार को दिया जाता है लेकिन रेट्स सरकार नियत करती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जागीरदार लोग वसूल करते हैं तो सरकार इसका क्या करेगी ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या रेट्स सरकार तय करती है ?

श्री भोगीलाल पंडया—नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि भूतपूर्व जयपुर सरकार के और राजस्थान सरकार के सेटलमेंट विभाग ने मिलकर रेटस मुकर्रर की हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह बात ठीक नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सेटलमेंट विभाग ने राजस्थान सरकार की मन्जूरी से रेटस मुकर्रर की हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—आप राजस्थान बनने के पहले की बातें कर रहे हैं, यदि आपने राजस्थान बनने के बाद की जानकारी हासिल की होती तो आप इस प्रकार प्रश्न नहीं करते।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि इस प्रकार रेट्स के रिवीजन के अधिकार राजस्थान सरकार को हैं ?

श्री अध्यक्ष—I know it personally, it is not.

श्री हरिकृष्ण व्यास—They have been subsequently done.

श्री अध्यक्ष—I know it. No, no.

प्रश्न संख्या ६४३

प्रोसीक्यूटिंग इन्सपेक्टर्स की ट्रेनिंग के लिये छः व्यक्ति

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Home Minister be pleased to answer :—

(a) Is it a fact that 6 persons were sent for training as prosecuting Inspectors in the P. T. S. Kishangarh in the course starting in August, 1953 ?

(b) If so, were the posts advertised and was an interview held for the selection of these candidates conforming to the normal procedure of selection ?

(c) Is it a fact that these persons were paid a salary of Rs. 150/— plus Rs 30/—D. A. per month during training, while the trainees in the same batch for P. S. I. had to deposit Rs. 500/—each ?

(d) Is it a fact the P. Is are generally promoted from P. S. Is. and not taken direct ?

(e) If so, what were the reasons for showing special preference to there persons ?

श्री नरसिंह कछवाहा (उप मन्त्री)—(क) प्रशिक्षण के लिये ६ नहीं ८ भेजे गये थे।

(ख) वार्षिक पाठ्यक्रम (कोर्स) में रिक्तियों का विज्ञापन समाचार-पत्रों और राजपत्र में दिया गया था लेकिन इसके प्रत्युत्तर में जो प्रार्थनापत्र आए उनसे ऐसा मालूम हुआ कि विधिस्नातक (लॉ गेजुएट्स) जितने आने चाहिये थे उतने आगे नहीं आ रहे थे। इसलिये वर्ष के अगले छः मास

[श्री नरसिंह कछवाहा]

के सत्र के लिये विभिन्न हल्कों के पुलिस के उप-महानिरीक्षकों (डी. आई. जी.) को विधि-स्नातकों का पता लगाकर उन्हें पी. आई. के पाठ्यक्रम (कोर्स) के लिये प्रार्थनापत्र देने को उत्साहित करने के लिए कहा गया। अभ्यर्थियों को विधिवत् भेंट के लिये बुलाया गया और चुनाव किया गया।

(ग) जो लोग सरकारी की सेवा में थे उनको उनका अपना वेतन ही मिलता रहा, लेकिन जन-साधारण में से जिन्होंने सीधे इस प्रशिक्षण के लिये प्रार्थना पत्र दिये उनको प्रशिक्षण काल के लिए कुछ नहीं दिया गया।

सिवाय उनके जो पुलिस विभाग से आये थे बाकी सब से वास्तव में प्रशिक्षण शुल्क के रूप में ५००) रु० लिये गये।

(घ) सामान्यतः पी. आई. (पुलिस) दल में से ही लिये जाते हैं लेकिन जब पर्याप्त योग्यता प्राप्त व्यक्ति पुलिस दल में नहीं मिलते हैं तो सीधी भरती की जाती है।

(ङ) किसी के भी प्रति कोई विशेष रियायत नहीं की गयी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जो एप्लीकेशन्स पहले आयी थीं क्या उनमें से लोगों को सिलेक्ट किया गया ?

श्री नरसिंह कछवाहा— एप्लीकेशन्स के पहले आने और पीछे आने का सवाल ही नहीं उठता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—एडवर्टाइजमेन्ट के जवाब में एप्लीकेशन्स आई थीं, उनमें से लोगों को सिलेक्ट किया गया ?

क्या जितनी एप्लीकेशन्स आई थीं उनमें से सब का सिलेक्शन किया गया ?

श्री नरसिंह कछवाहा—जितनी एप्लीकेशन्स आई थीं उन्हों में से सब को सिलेक्ट किया गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि जिन लोगों की एप्लीकेशन्स नहीं आई थीं उन लोगों को भी विचारार्थ लिया गया ?

श्री नरसिंह कछवाहा—नहीं, यह ठीक नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—एप्लीकेशन की मयाद गुजर जाने के बाद विभागीय सूचना देकर और नये लोगों के नाम मंगवाये गये ?

श्री नरसिंह कछवाहा—लॉ ग्रेजुएट्स, पुलिस विभाग में भरती होने से घबराते थे इसलिये बहुत कम आगे आ रहे थे; इसलिये डी. आई. जी. को हिदायत दी गई थी कि वे पुलिस विभाग के लोगों को प्रोत्साहन दें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि जिन लोगों का सिलेक्शन किया गया उनमें माननीय उपमन्त्री के रिश्तेदार भी हैं ?

श्री नरसिंह कछवाहा—मेरे रिश्तेदार तो सब ही हैं। मेरे रिश्तेदार सामने भी बैठे हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है ओरीजिनल एप्लीकेशन्स मांगी गई थीं उनको दुबारा विचारार्थ नहीं लिया गया ?

श्री नरसिंह कछवाहा—मेरे पास कोई सूचना नहीं है ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सिलेक्शन के लिये कोई कमेटी नियुक्त की गई थी ?

श्री नरसिंह कछवाहा—आई. जी. पी. को सब पॉवर्स थे, उनके मातहत सारी कार्यवाही की गई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—नॉर्मल प्रोसीजर के अलावा भिन्न प्रोसीजर क्यों मुकर्रर किया गया ?

श्री नरसिंह कछवाहा—यह आवश्यक था।

श्री हरिकृष्ण व्यास—नॉर्मल प्रोसीजर से भिन्न प्रोसीजर मुकर्रर करने के लिए किसने अधिकार दिया था ?

श्री नरसिंह कछवाहा—जब कि लॉ ग्रेजुएट्स मिल नहीं रहे थे तो यह प्रोसीजर अख्त्यार करना पड़ा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इस विषय में गवर्नमेन्ट की सेंक्शन ओबटेन की गई ?

श्री नरसिंह कछवाहा—कोई आवश्यकता नहीं थी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या गवर्नमेन्ट के लिए इस प्रकार प्रोसीजर को तोड़ना वाजिब है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६४४

प्रति काम्यूनिटी प्रोजेक्ट पर साधारणतया व्यय

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) प्रति कॉम्यूनिटी प्रोजेक्ट पर साधारणतया कुल क्या खर्चा होता है ?

(ख) ऐसे खर्चे में निरीक्षण व व्यवस्था तथा वास्तविक स्कीमों के बीच खर्चे का क्या अनुपात है; याने प्रतिशत किस प्रकार खर्चा आता है ?

श्री टीकाराम पालीवाल— (अप्राप्य-उत्तर उपलब्ध नहीं हुआ)

प्रश्न संख्या ६४५

ग्राम पालपुर (जि. अलवर) में नहर से सिचाई की दर खालसा से अधिक

श्री भवानीसहाय शर्मा—क्या सिंचाई मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा की करेंगे :—

(क) ग्राम पालपुर, माफी तहसील राजगढ़, जिला अलवर में जो नहर से सिंचाई होती है क्या उसकी दर खालसा से ज्यादा है ?

(ख) जो किसान सरकारी जमीन नहर से सींचता है उसकी दर माफी तथा जागीरी इलाके से कितनी कम है ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सिंचाई मन्त्री)—(क) बंध व नहरें वगैरह बनाने में जो खर्चा होता है उसमें माफी व जागीर जमीन वाले कुछ हिस्सा नहीं देते हैं और सारा खर्चा खालसा जमीन वालों पर पड़ता है इसी कारण से खालसा की बनिस्पत जगीरी व माफी की जमीनों पर नहर से पानी देने का रेट ज्यादा रक्खा जाता है

(ख) करीबन आधा कम है।

श्री भवानीसहाय शर्मा—क्या जो माफीदार काम नहीं करते उनसे भी माफी की रकम ली जाती है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—अभी स्टेट में जो बान्ध या नहरें आदि बनी हैं वे सब स्टेट ट्रेजरी से बनी हैं। स्टेट ट्रेजरी में खालसा के किसानों का रुपया ज्यादा है। जागीरी किसानों का जागीरदारों के पास कॉन्ट्रीब्युशन नहीं होता है। स्टेट की आमतौर पर पॉलीसी रही है कि वह खालसा

श्री टीकाराम पालीवाल]

के किसानों को जिस रेट्स से पानी देती है उससे अधिक रेट पर जागीरों या माफी के किसानों को पानी देती है ?

श्री भवानीसहाय शर्मा—इस समानता के युग में भी इस प्रकार के भेदभाव जो बरता जाता है उस विषय में सरकार क्या सोच रही है ?

श्री टीकाराम पालीवाल —इस विषय में विचार किया जा रहा है ।

श्री भवानीसहाय शर्मा—तो क्या यह मान लिया जाय कि सबको समान दर लागू किया जायगा ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जरूर किया जायगा ।

प्रश्न संख्या ६४६

देवती (तहसील राजगढ़) में देवती से घाटा तक की सड़क की दशा

श्री भवानीसहाय शर्मा—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) ग्राम देवती, तहसील राजगढ़, जिला अलवर में जो देवती से घाटा तक की सड़क है उसकी अब क्या हालत है ?

(ख) इस सड़क की मरम्मत किस सन् में हुई थी ?

(ग) इस सड़क की लम्बाई याने कितने मील का टुकड़ा है ?

(घ) जब कभी इस सड़क की मरम्मत की गई है तब सरकार ने कितनी रकम खर्च की ?

श्री टीकाराम पालीवाल (निर्माण मन्त्री)—(क) हालत ठीक है । मोटरकार अच्छी तरह से जा सकती है ।

(ख) इस सड़क की मामूली मरम्मत सरकार द्वारा प्रति वर्ष होती रहती है ।

[श्री टीकाराम पालीवाल]

(ग) इसकी लम्बाई ३। (सवा तीन) मील है।

(घ) मामूली मरम्मत हर साल होती रहती है जिसका खर्चा लगभग ३००) सालाना होता है।

श्री भवानीसहाय शर्मा—अब सड़क की क्या हालत है ? इसकी कोई जानकारी नहीं है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जानकारी दी जा चुकी है।

एक सदस्य—क्या सब से कम खर्चा सड़कों पर अलवर में ही हुआ है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—यह सही नहीं है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६४७

कोटा तथा झालावाड़ जिलों में सरकार द्वारा चलाये

जाने वाले कृषि प्रयोगात्मक खेत

(श्री जुझारसिंह की अनुपस्थिति में प्रश्न संख्या ६४७, ६४८ व ६४६ श्री सज्जनसिंह द्वारा पूछे गये)

श्री जुझारसिंह—Will the Minister-in-charge of Agriculture be pleased to state:—

(a) How many agricultural experimental farms are run by the Government in the Districts of Kotah and Jhalawar and at what places ?

(b) How much money is being spent on each of them ?

(c) Is the Government satisfied with the average yield of these farms, the help they give to the cultivators and the results of their experiments ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मन्त्री)—(अ) कोटा व झालावाड़ जिलों में कोई एक्सपेरीमेन्टल फार्म (experimental farm) नहीं है।

[श्री भोगीलाल पंड्या]

केवल एक फार्म कोटा में है जो प्रशिक्षण केन्द्र के आधीन है।

(ब) और (स) ये सवाल नहीं उठते।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६४८

तहसील सांगोद (जिला कोटा) के परवान, काली सिंध

तथा उज्जन नदियों के किनारे बसे ग्रामों को क्षति

श्री जुझारसिंह—Will the Minister-in-charge of Agriculture be pleased to state:—

(a) What programme does the Government have to stop the growing soil-erosion in the River-infested areas of Rajasthan ?

(b) Is it correct that a number of villages on the banks of rivers "PARVAN", "KALI SINDH" and "UJJAN" in Tehsil Sangod District Kotah are facing ruination as a result of erosion and lack of Government help and attention to them ?

(c) Is it a fact that a number of applications have been presented by the villagers of "Kuraria" through Panchayat Circle "Mandita" with a promise to provide free labour in case of Government help to the Minister and the Commissioner and Collector of Kotah and no action has been taken so far ?

(d) Will the Government do something in the future about it ?

श्री भोगीलाल पंडया (रसद मन्त्री)—(अ) भूमि के कटाव को रोकने के सम्बन्ध में आवश्यक योजना तैयार करने के हेतु सरकार ने एक Sail conservation नियत किया है। यह बोर्ड शीघ्र ही काम चालू करेगा।

(ब) हाँ।

[श्री भोगीलाल पंड्या]

(स) सरकार के पास अभी तक कोई दरख्वास्तें नहीं आई हैं। इस विषय में कमिश्नर व कलेक्टर कोटा से जानकारी प्राप्त की जा रही है।

(ड) इसका उत्तर ऊपर (अ) में आ गया है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न संख्या ६४६

प्रश्न संख्या ६४६

प्रतिवर्ष कोटा डिवीजन के लिए मालवा से आने

वाले खेती योग्य बैल

श्री जुझारसिंह—Will the Minister-in-charge of Agriculture be pleased to sate :—

(i) Of how much value farm-bullocks are imported from Malwa for the Kotah Division of Rajasthan every year ?

(ii) Are good quality "Malwi-breed" cattle also available in certain Tehsils of the former Jhalawar State ?

(iii) What efforts the Government has made to encourage the breeding of good quality bullocks in this part of Rajasthan so far ?

(iv) Has the Government any scheme for the future to encourage the good quality cattle-breeders in this area ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मन्त्री)—(क) इस प्रकार के आँकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ख) हाँ।

(ग) एक ए. आई. (A. I.) सेन्टर कोटा में स्थापित किया गया है। सरकार के पास एक योजना है जिसके द्वारा अच्छी जाति के पशुओं के मालिकों को अच्छे बछड़ों के पालन-पोषण के लिए भत्ता दिया जावेगा ताकि वे ऐसे बछड़ों की देख-भाल ठीक-ठीक कर सकें। इन्हें बाद में बड़ा होने पर सरकार खरीदेगी।

[श्री भोगीलाल पंड्या]

(घ) ऐसी सरकार की योजना है। यह योजना शीघ्र ही कार्यान्वित की जावेगी।

प्रश्न संख्या ६५०

परवतसर तहसील के पेन्शनर्स की संख्या

श्री चाँदमल मेहता—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

परवतसर तहसील में पेन्शनर्स की संख्या कितनी है?

श्री टीकाराम पालीवाल (वित्त मन्त्री)—परवतसर तहसील में परवतसर सब ट्रेजरी से पेन्शन लेने वालों की संख्या ८३५ है।

श्री अध्यक्ष—श्री भवानीसहाय शर्मा।

प्रश्न संख्या ६५१

तहसील राजगढ़ (जि० अलवर) में माचाड़ी-रेणी जाने वाली सड़क की दशा

श्री भवानी सहाय शर्मा—क्या सार्वजनिक निर्माणमन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) तहसील राजगढ़, जिला अलवर, में जो सड़क माचाड़ी से रेणी जाती है वह कच्ची सड़क है या पक्की?

(ख) इस सड़क की मरम्मत किस सन् में हुई थी?

(ग) माचाड़ी से रेणी तक कितने ग्राम इस सड़क के आसपास पड़ते हैं?

(घ) यह कितने मील का टुकड़ा है?

(ङ) क्या इस सड़क को पक्का बनाने का कार्य पंचवर्षीय योजना में ले लिया गया है?

[श्री भवानी सहाय शर्मा]

(च) यदि नहीं लिया गया है तो इसका खास कारण क्या है ?

श्री टीकाराम पालीवाल— (अश्रव्य-उत्तर उपलब्ध नहीं हुआ)

श्री भवानीसहाय शर्मा—यह अभी तक पंचवर्षीय योजना में नहीं शामिल की गई तो क्या इससे यह समझा जावे कि सरकार इसको कोई महत्वपूर्ण नहीं समझती है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जी हां, यह माना नहीं गया कि यह इम्पोर्टेन्ट है।

श्री भावनीसहाय शर्मा—जिसके आसपास इतने गांव पड़ते हैं तब भी यह इम्पोर्टेन्ट नहीं है तो फिर कौनसी इम्पोर्टेन्ट है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—आठ मील के टुकड़े में चार-पाँच गांव के आ जाने से इम्पोर्टेन्ट नहीं हो सकती।

श्री भवानी सहाय शर्मा—अगर अलवर रियासत के रिकॉर्ड उठाकर देखे जावें तो मालूम होगा माननीय मन्त्री महोदय को, कि यह कितनी इम्पोर्टेन्ट सड़क है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—अलवर के स्टेन्डर्ड से इम्पोर्टेन्ट हो सकती है, राजस्थान के स्टेण्डर्ड से नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सड़क कच्ची है या पक्की ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मैं इसका उत्तर दे चुका हूँ।

श्री अध्यक्ष—श्री चाँदमल मेहता।

प्रश्न संख्या ६५२

राजस्थान की तहसीलें, उनकी जन-संख्या तथा नायब तहसीलदार

श्री चाँदमल मेहता—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में तहसीलों की संख्या कितनी है ?

(ख) कितनी तहसीलों में नायब तहसीलदार नहीं हैं और इनकी जन-संख्या व आमदनी कितनी-कितनी है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) १९८।

(ख) ७५ तहसीलें ऐसी हैं जहाँ पर नायब तहसीलदार नहीं है। उनकी जन-संख्या और आमदनी के बारे में सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि ३० हजार से नीचे की आबादी वाली तहसील में नायब तहसीलदार हैं पर ५० हजार से ऊपर वाली तहसील में नहीं हैं?

श्री भोगीलाल पंड्या—इसके बारे में कई तरह से देखा जाता है। काम पर इसका खास आधार होता है और सम्भव है उसी आधार पर ऐसा किया गया होगा। सरकार इसके लिए सूचना प्राप्त कर रही है कि आमदनी, काम और आबादी की दृष्टि से कहाँ क्या स्थिति है। यह सब मालूम होने पर फिर से जवाब दिया जा सकता है।

श्री चाँदमल मेहता—तहसीलदार और नायब तहसीलदार किस आधार पर मुकर्रर किये गये हैं, वह आधार बताने की कृपा करेंगे। आबादी आधार है या आमदनी?

श्री भोगीलाल पंड्या—आबादी और आमदनी भी है और इसके साथ ही पहले की व्यवस्था है, जमीनों का फासला, एक तहसील से दूसरी तहसील में कितनी दूरी है; आदि ऐसी कई बातें हैं।

श्री चाँदमल मेहता—वे कई बातें भी बताने की स्थिति में माननीय मन्त्री महोदय हैं?

श्री भोगीलाल पंड्या- मैं जो बतला चुका हूँ वे ही काफी हैं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६५३

किशनगढ़ स्थित मदनमोहनजी के मन्दिर के आभूषण का प्रबन्ध

श्री चाँदमल मेहता—क्या देवस्थान मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) श्री मदनमोहन जी के मन्दिर (किशनगढ़ स्थित) के ठाकुर जी के जेवरात किसके चार्ज में हैं?

(ख) क्या यह सही है कि हर त्यौंहार पर राजस्थान सरकार का आदमी जेवरात को निकालने के लिए जाता है, जिसमें एक मरतबा का चालीस रुपया का खर्चा पड़ता है?

श्री भोगीलाल पंड्या (देवस्थान मन्त्री)—(क) किशनगढ़ में स्थित मन्दिर श्री मदन-मोहनजी के जेवरात मन्दिर के मुखिया के चार्ज में हैं जिस पर देवस्थान विभाग की सील लगी रहती है।

Page No.31

[श्री भोगीलाल पंड्या]

(ख) त्यौहार पर जेवर निकालने के लिए जयपुर से एक अहलकार जाता है जिसका खर्चा करीब १२) रु० एक दफा होता है।

श्री चाँदमल मेहता—५३-५४ के वर्ष में इस प्रकार जेवर निकालने में कितना खर्च हुआ?

श्री भोगीलाल पंड्या—छः बार। यानि १२×६ = ७२) रु०।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस मन्दिर के ट्रस्टी मुकर्र र करने के बारे में एक वर्ष पूर्व आदेश हो चुका है और यह जेवर उनके कस्टडी में रहने के आदेश हो चुके हैं, पर इसकी तामील नहीं हो रही है नीचे से?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह तो आप सूचना दे रहे हैं। ऐसा कोई आदेश नहीं हुआ सरकार की ओर से। यह सही है कि इस मामले की मिसल सरकार के पास है।

श्री चाँदमल मेहता—तो क्या यह समझा जावे कि अभी तक ट्रस्टियों के बारे में कोई सरकारी आज्ञा जारी नहीं हुई? कुछ तब्दील करने की बात चल रही है क्या?

श्री भोगीलाल पंड्या—पहले तो कुछ और कह रहे थे और अब आप दूसरी तरह की बात पूछ रहे हैं। भिन्न-भिन्न सूचनाएँ आप दे रहे हैं।

श्री चाँदमल मेहता—मैं तो जानकारी चाह रहा हूँ।

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं भी जानकारी ही दे रहा हूँ कि आपकी सूचना गलत थी, जिसके आधार पर आप यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री चाँदमल मेहता—गलत थी तो कह देते कि ऐसी बात नहीं है।

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने कहा कि इस मामले पर सरकार गौर कर रही है। सरकार के पास फाइल पेश है और वह इस सारे मामले पर विचार कर रही है।

श्री चाँदमल मेहता—कब से यह विचार शुरु हुआ और कब समाप्त हो जावेगा?

श्री भोगीलाल पंड्या—जब से कार्यवाही शुरू हुई विचार करने की, तब से विचार शुरू हुआ और जब यह कार्यवाही समाप्त हो जावेगी तब विचार समाप्त हो जावेगा। अब तो यह मामला चीफ मिनिस्टर साहब के पास चल रहा है और जल्दी ही तय हो जावेगा।

श्री चाँदमल मेहता—इसका कोई निश्चित समय बता सकते हैं कि कब तक यह निर्णय ले लिया जावेगा?

Page No.32

श्री भोगीलाल (?)—मैं तो भविष्यवाणी करने का आदि नहीं हूँ।

श्री अध्यक्ष—Now the questions are over.

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूँ कि श्री विजयसिंह (१५८) ने विधान सभा की बैठक से दिनाँक १८ मई, १९५४ से ३१ मई, १९५४ तक अनुपस्ति रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय?

सभी सदस्य—Yes.

श्री अध्यक्ष—आज्ञा प्रदान की गई।

ग्राम ललाना (परबतसर) में दो व्यक्तियों की हत्या तथा लूट सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव

मेरे पास एक स्थगन प्रस्ताव आया है जिसे मैं पढ़े देता हूँ?

"That the House do now adjourn for the purpose of discussing the failure of the Government to prevent murders of Chothu Ram and Ramu Ram, sons of Deva Ram, and loot in village Lalana, Tehsil Parbatsar, on 21st, May, 1954, inspite of prior intimation having been given of the threatened murders of Jhutha Ram and his relations and loot, to the Collector and S. P. Distt. Nagaur and the I. G. P., Rajasthan, which is an urgent and recent matter of public importance."

मैं यह बतला दूँ कि ऐसी जो घटनाएँ हैं उनके लिए शोर्ट नोटिस क्वेश्चन रख सकते हैं और इसका भी सेटिस्फेक्टरी जवाब न मिले तो हाफ एन आवर डिबेट (half an hour debate) कर सकते हैं। मैं इसे इस लाइट में मानता हूँ कि यह एडजॉर्नमेन्ट मोशन उन्हीं के लिए है जो अर्जेन्ट मेटर्स (urgent matters) हों और इम्पोर्टेन्ट मैटर्स ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेन्स (important matters of public importance) के हों। इस सदन की कार्यवाही को स्थगित करने के लिए यह मामला ऐसा नहीं है और इसलिए मैं इसे रूल आउट करता हूँ।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—यह किसने दिया है।

श्री अध्यक्ष—श्री मोतीलाल चौधरी ने। माननीय सदस्य यदि चाहें तो इसके लिए शोर्ट नोटिस क्वेश्चन दे सकते हैं और इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी—माननीय अध्यक्ष, यह काफी इम्पार्टेंट और अर्जेन्ट मेटर है।......

श्री अध्यक्ष—डिस्कशन एडजोर्नमेंट मोशन से नहीं होता है। डिस्कशन के और भी तरीके हैं जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में प्रेस्क्राइब्ड हैं और डिस्कशन का मतलब यह है कि हाउस की अटेन्शन उसकी तरफ ड्रॉ की जाय। उसके लिए एडजर्नमेंट मोशन के अलावा और भी तरीके हैं। एडजर्नमेंट का बड़ा इनऑर्डीनेट (inordinate) और एक्स्ट्राआर्डीनरी प्रोसीजर (extraordinary procedure) है जिसके प्रिसीडेन्स हैं कि वह बहुत रेयरली (rarely) और इक्वेली टू (equal to), यह कहा जाय, नलिटी (nullity) ग्रान्ट किये जाते हैं।

संतोषसिंह कछवाहा—ओन ए प्वॉइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, सर, प्रेस वालों ने टाइप बदल दिया है और वह बहुत बारीक टाइप है। पढ़ा नहीं जा सकता है।

(घंटी)

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष, कृपा करके सरकार द्वारा या आप द्वारा रोशनी डाली जाय कि हमारे सेशन का प्रोग्राम क्या होगा, क्योंकि हमको आगे का प्लान बनाना है कि आगे क्या करना है?

श्री अध्यक्ष—By tomorrow I will inform.

विधान कार्य

राजस्थान सिंचाई तथा जलोत्सारण विधेयक, १९५३.

Now, a motion was moved by Shri Tika Ram Paliwal that the Rajasthan Irrigation and Drainage Bill be passed.

(श्री टीकाराम पालीवाल बोलने के लिए खड़े होते हैं।)

श्री अध्यक्ष—So I put the question. The question is that the Rajasthan Irrigation and Drainage Bill, 1953 be passed.

(स्वीकृत)

The Rajasthan Irrigation and Drainage, Bill, 1953, is passed.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Speaker, Sir, yesterday the figure '1953' was amended to '1954'. It would, therefore, be proper to name it as 'The Rajasthan Irrigation and Drainage Bill, 1954'.

श्री अध्यक्ष—Yes, we can take it as that. Is it the leave of the House?

(स्वीकृत)

Yes, the amendment is accepted.

Page No.34

राजस्थान भूदान-यज्ञ विधेयक, १९५३.

श्री अध्यक्ष--Further consideration of the Rajasthan Bhoodan Yajna Bill.

श्री भोगीलाल पंड्या—अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध के मंत्रीजी बाहर गये हुए हैं। उनके आने पर यह रखें तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष—We can then take the next. But it is on the agenda for the day. We will do it later today.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह--But, when the Minister concerned is......

श्री अध्यक्ष—No, I do not regard any Minister particularly as in-charge of the Bill. If a single Member is present on the Treasury Benches I take that he is in charge of the Bill.

(हियर, हियर)

राजस्थान खेती-बाड़ी (सघनन तथा खण्ड निरोध) विधेयक, १९५३.

श्री टीकाराम पालीवाल (सिचाई मन्त्री)—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Rajasthan Holdings (Consolidation and prevention of Fragmentation) Bill, 1933, as reported upon by the Select Committee be taken into consideration,

श्री अध्यक्ष—1933 ?

श्री टीकाराम पालीवाल—No, Sir, 1953.

श्री अध्यक्ष—I thought you were twenty years back.

श्री टीकाराम पालीवाल—It should now be 1954 instead of 1953.

श्री अध्यक्ष--Motion moved. The question is that the Rajasthan Agricultural Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Bill, be taken into consideration.

(स्वीकृत)

The motion is adopted. We now proceed to consider the Bill clause by clause. Yes, Clause 2. Shri Bhairon Singh, Division No. 16, will move his amendment to Clause 2.

Page No.35

श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६)—माननीय अध्यक्ष, आज जो बिल प्रस्तुत किया जा रहा है उसकी कॉपी हमारे पास नहीं है वह दे दी जाय।

श्री अध्यक्ष—Was the agenda not circulated to Hon'ble Members? This is the agenda of the day.

श्री हरिकृष्ण व्यास—But we anticipated.....

श्री अध्यक्ष—I can change any order, that I have the power.

श्री भैरोंसिंह—माननीय अध्यक्ष, एक साथ एक ही बिल को स्टडी किया जा सकता था। आज के एजेन्डा में जब कि भू-दान यज्ञ बिल था, वह (बिल) नहीं लाये।

श्री अध्यक्ष—No, this is not only for this occasion. We will supply copies, but at times I see the Hon'ble Members do not bring even questions which are being sent to them. It gets very difficult for the office to supply all the copies.

श्री भैरोंसिंह—यह तो ठीक है।

श्री अध्यक्ष—Bhoodan Yagna Bill was circulated long ago. If the Hon'ble Member wants to move his amendment to Clause 2, I call him.

श्री भैरोंसिंह—मुझे एक-दो मिनिट दिये जायं तो संशोधन की कॉपी आफिस में जाकर ले आऊं।

श्री अध्यक्ष—(श्री हरिकृष्ण व्यास से) You are also in the same position?

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—What is the objection in supplying the copies?

श्री अध्यक्ष—They have already been circulated.

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—But copies may.........

श्री अध्यक्ष—I have already ordered. There is no objection. Yes, the Hon'ble Member?

(श्री हरिकृष्ण व्यास को अपनी संशोधनों की प्रतियां देते हुए)

The Hon'ble Member has to move amendment to Clause 2.

श्री हरिकृष्ण व्यास—There are two amendments to Clause 2.

श्री अध्यक्ष—Both of them.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Speaker, Sir, I beg to move the following amendment to clause 2:—

"In sub-clause (h), line 5, delete the words 'village servant'."

"My second amendment is, Sir, that in sub-clause (m), line 4, delete the words 'but does not include a trespasser' "

माननीय अध्यक्ष, डेफिनिशन्स का जो हिस्सा विचारार्थ लिया जा रहा है उसमें कुछ संशोधन मैंने दिये हैं और इसलिये दिये हैं कि डेफिनेशन्स प्रिसाइज़ हो जाये और कुछ कमी है वह दूर हो जाय। मसलन लैन्ड होल्डर की जो डेफिनिशन दी गई है वह यह है : "...... AND INCLUDES A Jagirdar, Biswedar, a Zamindar, a rent free grantee, a grantee at a favourable rate of rent, a village servant—" मेरे अमेंडमेंट का तात्पर्य यह है कि "विलेज सर्वेन्ट" शब्द इसमें से हटा दिया जाय। विलेज सर्वेन्ट नाम की प्रथा एक तो मौजूदा कानून पास होने के बाद हट गई और एक लैंड होल्डर के रूप में विलेज सर्वेन्ट की कोई परिस्थिति या कोई स्थान रह नहीं गया इसलिये लैंड होल्डर की डेफिनिशन में इस कानून के अन्दर 'विलेज सर्वेन्ट' को इन्क्ल्यूड करना दुरुस्त नहीं होगा। शायद और किसी जगह यह दुरुस्त हो पर राजस्थान में कानून को देखते हुए विलेज सर्वेन्ट का काम नहीं है। तो पहला अमेंडमेंट मेरा यह है।

मेरा दूसरा अमेंडमेंट "टिनेन्ट" की जो डेफिनिशन जो सब क्लॉज (एम) में दी गई है उससे सम्बन्ध रखता है। उसमें कहा गया है कि " Tenant' means the person by whom rent is, or but for a contract, express or implied, would be, payable......" और इसकी सफाई करते हुए यह कहा गया है कि "and includes a co-tenant, a tenant of khudkasht, a tenant-at-will, a grove holder, a sub-tenant or a mortgagee of tenancy right but does not include a trespasser." ये जो आखिरी शब्द "but does not include a trespasser" रिडन्डेन्ट (redundant) हैं क्योंकि जब एक आदमी ट्रेस्पास कर देता है तो यह साफ है कि वह टिनेन्ट हो नहीं सकता। इसलिये ये शब्द रिडन्डेन्ट हैं। यही नहीं बल्कि पहले जो इस प्रकार के शब्द थे वे हटा लिये गये थे वे इसलिये कि जब इन शब्दों को रखने से कोई फायदा ही नहीं है तो किसी मामले में कोई इन शब्दों को इन्टरप्रेट करेगा, एलिगेशन्स के आधार पर, कि फलां फलां ट्रेसपासर (trespasser) है उसके आधार पर जो जांच होनी चाहिये उससे गड़बड़ पैदा हो सकती है। जब 'टिनेन्ट्स' की परिभाषा करते हैं और उसके साथ-साथ जितने क्लॉज़ हैं उनका जिक्र कर देते हैं तो फिर यह कहना कि टिनेन्ट से तात्पर्य यह है कि ट्रेसपासर को टिनेन्ट नहीं गिना जायगा। यह न तो आवश्यक है और न इससे डेफिनिशन ही ज्यादा साफ होती है, बल्कि इस प्रकार का शब्द रखने से नया अर्थ लगाने की गुंजायश है। इन शब्दों को सब क्लॉज़ (एम) में से हटाने के लिये मैंने यह दूसरा अमेंडमेंट रखा है। आशा है इन दोनों को स्वीकार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष (श्री भैरोंसिंह के लिये)--The Hon'ble Member is absent. Should I take it that he does not want to move. I can supply a copy if he so likes. He should not have taken such long a time. Should we wait for him ?

श्री टीकाराम पालीवाल—अध्यक्ष महोदय.........

श्री अध्यक्ष—Very simple amendmants.

श्री टीकाराम पालीवाल—अध्यक्ष महोदय, ये अमेंडमेंट्स बहुत सिम्पल हैं, लेकिन बिल में जो शब्द रखे गये हैं वे रखने आवश्यक हैं और इस प्रकार के अमेंडमेंट्स से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा । जो सिचुएशन और जो दिक्कतें सामने आ सकती हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये शब्द रखे गये हैं, जो ज्यादा कॉम्प्रिहेन्सिव हैं, इसलिये इनको ज्यों का त्यों रहने दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—(श्री एच० के० व्यास को संकेत करके) You insist on your amendments, or you want to withdraw ?

(श्री एच० के० व्यास ने सिर हिलाकर स्वीकृति दी)

Then ask for leave.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I seek leave of the House to withdraw these amendments.

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House ?

(स्वीकृत)

Leave to withdraw his amendments has been granted.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I withdraw my amendments.

श्री अध्यक्ष—The question is that clause 2 be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 2 is added to the Bill.

(विराम)

Clause 3.

(विराम)

The question is that clause 3 be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 3 is added to the Bill.

(विराम)

Clause 4, amendment by Shri Bhairon Singh.

श्री भैरूँसिंह—माननीय अध्यक्ष, I beg to move the following amendment to clause 4. [sub clause (1)]

"Insert the words 'after consultation with the District Advisory Committee appointed by the Government' between the words 'Government' and 'may' occurring in the first line."

माननीय अध्यक्ष, इस क्लॉज़ के मातहत स्टेट गवर्नमेंट यदि आवश्यक समझे तो किसी भी एरिया के लिये उसको नोटिफाइड एरिया करार देकर उसमें इस सेक्शन की सारी कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिये उस पर अपना कब्जा कर सकती है। मेरा इसमें निवेदन है कि यहां कंसोलिडेशन का सवाल है। इसमें उन सब लोगों की राय लेनी चाहिये जिन पर कंसोलिडेशन का किसी न किसी रूप में प्रभाव होने वाला है। इसके मातहत डिस्ट्रिक्ट एडवाइज़री कमेटीज़ बनाई जायेंगी, जब सरकार को इसकी आवश्यकता पड़ेगी; जैसा कि आगे के क्लॉज़ में दिया गया है और उन डिस्ट्रिक्ट एडवाइज़री कमेटीज़ की राय ली जायगी। मैं उचित समझता हूँ कि आगे की कार्यवाही में प्रोहिबिशन ऑफ फ्रेगमेन्टेशन का कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्ज़ के बारे में उक्त कमेटी की राय ली जायगी, परन्तु यदि इस प्रकार की राय ली ही जानी है तो कार्य आरम्भ करने से पहले या आरम्भ करते समय राय ली जाय तो इससे काफी सहयोग मिल सकेगा और इस प्रकार के सहयोग से हर प्रकार की सहायता रहेगी। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है कि नोटिफाई करने के पूर्व डिस्ट्रिक्ट एडवाइज़री कमेटी की राय ली जाय।

श्री अध्यक्ष—Mr. H. K. Vyas.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Speaker, Sir, I beg to move the following amendment to clause 4, sub-clause 1, line 2 :—

"Delete the words 'such enquiry as it deems fit' and substitute in its place 'reasonable enquiry'."

माननीय अध्यक्ष, जो अमेंडमेंट मैंने मूव किया है उसके बारे में मैं आपके जरिये सदन के सामने यह कहना चाहूँगा कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है।

इस बिल की धाराओं के ऑर्डर को देखेंगे तो यह पायेंगे कि क्लॉज ३ में डिटर्मिनेशन ऑफ नोटीफाइड एरिया है और वह नियत करना या निश्चित करना सरकार के लिये कोई प्रशंसा की बात नहीं होनी चाहिये।

Page No.39

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

कारण यह है कि जिस इलाके में जमीन का काफी फ्रेगमेन्टेशन हो उस इलाके को सरकार नोटिफाइड एरिया करार करेगी। इतना आम फैसला करना तो कोई अच्छी बात नहीं है। परन्तु इसके बाद क्लॉज ४ में जो सेटलमेंट ऑफ स्टेन्डर्ड एरिया है और क्लॉज फोर के मातहत जो राज्य सरकार निर्णय लेगी वह इस बिल के आगे के कार्यों पर असर डालने वाला है। डिविजन की कार्यवाही तहसीलदार पर रखी है, नोटिफाइड एरिया की जितनी लैंड का कंसट्रेशन होगा वह सब इस डिटर्मिनेशन के बाद होगा। फ्रेगमेंट कई बातों पर क्रियेट नहीं कर पायेंगे, जिस एरिया को प्रोफिटेबली कल्टीवेट करना, ऐसा सरकार मानेगी:

"the minimum area that can be cultivated profitably as a separate plot."

उस एरिया के आधार पर फिर सारे बाकी निर्णय होंगे और यह जो क्लॉज़ है वह इस प्रकार के एरिया को मुकर्रर करने का अधिकार देने वाला सवाल है। यदि इस प्रकार का अधिकार देने वाला क्लॉज़ इस बिल में रखते हैं तो आवश्यक है कि कुछ न कुछ स्टेन्डर्ड इसके लिये मुकर्रर हो जाना चाहिये। जो शब्द हैं, इसमें लिखा है:

"The state Government may, after such enquiry **as it deems fit,** provisionally, settle for any class of land in any notified area the minimum **area** that can be cultivated profitably as a separate plot.

मेरा ख्याल है कि ये शब्द नाकाफी हैं और इसलिये नाकाफी हैं कि इसमें पैसे भर भी आदेशात्मक बंधन राज्य सरकार पर नहीं पड़ता। इसके विपरीत यदि शब्द "reasonable enquiry" सब्स्टीट्यूट कर दिये जायं तो सरकार को ऐसा नियत करना पड़ेगा कि कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन (cost of production) की जांच करनी चाहिये, सारी की सारी मार्केट वेल्यु कितनी है यह जाँच की जानी चाहिये और इन सब चीजों के आधार पर यह मुकर्रर किया जाना चाहिये कि अमुक क्लास ऑफ सोइल में अमुक तरह की कल्टीवेशन की जानी चाहिये। सरकार कोई भी निर्णय करे तो कम से कम लोगों को यह मालूम तो होना चाहिये कि सरकार ने ऐसा निर्णय किस आधार पर लिया है, कोई न कोई स्ट्रोंग रीज़न तो उस निर्णय के लेने का होना ही चाहिये। ऐसा कर दें तो राजस्थान सरकार पर बंधन हो जाता, जो होना बहुत ही आवश्यक है। इससे क्लॉज़ पांच में जो रिविजन की कार्यवाही है वह दुरुस्त हो जायगी। यदि क्लॉज़ ४ में कोई बंधन सरकार पर नहीं रहा तो राज्य सरकार कहेगी कि हमने आम आँकड़े निकाले हैं, किस आधार पर निकाले हैं, फ्रगमेंन्टेशन है या नहीं है; इन सब चीजों पर विचार करने का अधिकार क्लॉज़ ५ के मातहत नहीं रहेगा। जब सेटलमेंट के बारे में तथा दूसरी चीजों के बारे में हम विचार करते हैं कि यह चीज ऐसी हो जाने पर कभी विचार किया जाना चाहिये। कोई फ्रगमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल होल्डिंग्ज़ का एरिया मुकर्रर करने के बारे में जब बुनियादी चीज ला रहे हैं तो यदि सरकार के अधिकारों पर जरा भी पाबन्दी नहीं लगाई गई तो यह कोई अच्छी बात नहीं होगी। मेरा ख्याल है कि उसके बिना हमें जो रिविजन को

Page No.40

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

जो कार्यवाही करनी है वह पूरी नहीं होगी। लोगों को सरकार के निर्णय का आधार मालूम नहीं होगा तो रिविजन ऑफ स्टेन्डर्ड एरिया में काफी कठिनाई आयेगी।

जो आंकड़े सरकार के पास मौजूद हैं, वे दूसरे आदमी को इकट्ठे करने में बहुत मुश्किल होगी। यह चीज पब्लिक की होनी चाहिये। इसका एक ही तरीका है, कि सरकार पर बंधन होना चाहिये। मुझे उम्मीद है कि इस अमेंडमेंट को मंजूर कर लिया जायगा।

श्री टीकाराम पालीवाल (सिंचाई मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ में "After such enquriy, as it deem fit" है, इसलिये इन्क्वायरी के माने ही यह हैं कि रीज़निंग जरूर दे।

इस ढंग से एज़ डीम फिट (as deem fit) की बात है वह भी जरुरी नहीं है और दोनों अमेंडमेंट स्वीकार करने मे मैं असमर्थ हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सारे सेटलमेंट के अनुभव बताते हैं कि "as deem fit" क्या है? सम्बन्धित मन्त्री हैं नहीं, वे जवाब देते तो बताते।

श्री अध्यक्ष— "Such enquiry, should be substituted by "reasonable enquiry."

श्री टीकाराम पालीवाल—Enquiry is presumed to be reasonable.

श्री हिम्मतसिंह अटरू—"As it deems fit" से इन्क्वायरी पर कोई जोर नहीं पड़ता है, बहुत सरसरी इन्क्वायरी हो जायगी।

श्री टीकाराम पालीवाल—Who is to decide the reasonableness of the enquiry, the Government or some exterior agency ? It is the Government. Government is expected to do what it thinks reasonable. If the fact of reasonableness is to be decided by somebody else then many administrative difficulties would arise. The matters may then be taken to court-- so many complications will arise and the very purpose of the Bill will be defeated.

श्री अध्यक्ष—This is the usual legal phraseology. I do'nt want to participate in the discussions.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I do'nt know if I have been able to make matters clear.

श्री अध्यक्ष—Both the Hon'ble Members are very clear to me.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am not clear to him.

Page No.41

श्री टीकाराम पालीवाल —We understand each other.

श्री अध्यक्ष—I put the amendments to vote then The question is that the amendments moved by Shri Bhairon Singh to subclause [1] of clause 4 be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is lost.

(विराम)

The question is that the amendment moved by Shri H. K. Vyas be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is lost.

(विराम)

The question is that clause 4 be accepted.

(स्वीकृत)

The clause is added to the Bill.

(विराम)

Clause 5 — Amendment to be moved by Shri Bhairon Singh.

श्री भरूँसिंह (वि० सं० १६)—Mr. Speaker, Sir, I beg to move the following amendment to clause 5:—

"Insert the words 'shall invite objections to this effect and after considering them' between the words 'Government' and 'may."

माननीय अध्यक्ष, अभी क्लॉज़ ४ के मातहत स्टेट गवर्नमेंट ने किसी भी एरिया को स्टेन्डर्ड एरिया कायम करने से पहले राजस्थान राजपत्र में नोटिफिकेशन निकाल कर बाद में स्टेन्डर्ड एरिया कायम करने की तजवीज की है और क्लॉज ५ के मातहत सरकार ने इस सम्बन्ध में, यदि किसी को कोई ऐतराज हो तो उन ऐतराजों की सुनवाई करने के बाद, यदि सरकार उचित समझे कि क्लॉज़ ४ के मातहत जिस एरिया को स्टेन्डर्ड एरिया डिटरमिन किया गया है, उचित है तो ठीक, नहीं तो स्टेन्डर्ड एरिया में तब्दीली कर सकती है।

मेरा संशोधन इस क्लॉज़ में यही है कि जब एक दफा सरकार ने किसी स्टेण्डर्ड (standard) एरिया के ओब्जेक्शन्स इन्वाइट करके स्टेन्डर्ड एरिया कायम कर दिया तो फिर दुबारा

[श्री भैरूँसिंह]

इसमें किसी प्रकार का रद्दोबदल और लोगों के ऑब्जेक्शन्स इन्वाइट किये नहीं करना चाहिये। मानलें कि किसी प्रकार से सरकार को उस डिटरमिन्ड एरिया में रद्दोबदल करने की आवश्यकता प्रतीत हुई और सरकार ने यह महसूस किया कि इस डिटरमिन्ड एरिया में किसी प्रकार की कमी की जावे या किसी प्रकार की वेशी की जावे तो इस कमी या बेशी को करने से पहले सरकार को फिर दुबारा लोगों की राय उसी प्रकार जानने की कोशिश करनी चाहिये जिस प्रकार कि पहले उस एरिया को डिटरमिन (determine) करते समय किया था। इसलिये मैंने यह एमेंडमेंट रखा है कि (objections) की सुनवाई करने के बाद ही सरकार को अगर रद्दोबदल करने को जरूरत हो तो रद्दोबदल की जावे। आपने, मान लीजिये कि स्टेण्डर्ड एरिया एक दफा ५ बीघा का मान लिया और उसके सम्बन्ध में सब लोगों ने अपने ऐतराज सरकार के सामने प्रस्तुत कर दिये। सरकार ने उन ऐतराजों पर विचार करके ५ बीघा को स्टेण्डर्ड एरिया कायम किया, लेकिन जब आप एक दफा ५ बीघा को स्टेण्डर्ड एरिया मान चुके और सब लोगों ने उसको मंजूर कर लिया तो फिर अब आप ५ बीघा के बजाय ४ बीघा या ५ बीघा के बजाय १० बीघा करना चाहते हैं तो लोगों की राय ली जानी बहुत जरूरी हो जाती है इसलिये मेरा कहना यही है कि जिस प्रकार आपने पहले स्टेण्डर्ड एरिया को कायम करते समय ऑब्जेक्शन्स (objections) को सुना है उसी तरह रद्दोबदल होने पर भी, सुनने के बाद ही, रद्दोबदल करनी चाहिये। उनको दुबारा अपने ऑब्जेक्शन्स पेश करने के लिये मौका दिया जाना चाहिये ताकि यदि किसी को उस एरिया को स्टेण्डर्ड एरिया निश्चित करने के सम्बन्ध में कोई ऐतराज हो तो वे कर सकें। यही मेरे अमेंडमेंट का आशय है।

श्री टीकाराम पालीवाल (सिंचाई मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष, माननीय मित्र ने जो संशोधन रखा है, मैं समझता हूँ कि इस क्लॉज़ में ऐसा प्रोवीजन रखा हुआ है। उन्होंने इस क्लॉज़ को पूरे ध्यान से नहीं पढ़ा है। अगर ध्यान से पढ़ते तो उनको यह संशोधन रखने की जरूरत नहीं आती। जहाँ वे संशोधन की बातें करते हैं मैं समझता हूँ वे सब बातें इसमें आ चुकी हैं। मैं इसे फिर पढ़ कर सुनाता हूँ :

"The State Government may, at any time, if it deems fit or expedient so to do, revise a standard area determined under sub-section [1]. Such revision shall be made in the manner laid down in section 4 and sub-section [1] of section 5."

जो प्रोवीजन पहले लागू हो चुका है वही लागू किया जावेगा। इसलिये एमेंडमेंट के लिये जो बात कहते हैं वह पहले ही रखी हुई है। वह सब चीजें ऑब्जेक्शन्स वगैरह, all the procedure which will be gone through, इसमें मौजूद है। इसलिये मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य इसे वापिस लेना पसन्द करेंगे।

श्री भैरूँसिंह (वि० सं० १६)—I beg leave to withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House ?

(स्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

The leave is granted. Now, withdraw.

श्री भैंरूं सिंह—I withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष--The question is that clause 5 be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 5 is added to the Bill.

(विराम)

क्लॉज़ ६, श्री हरिकृष्ण व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Speaker Sir, I beg to move the following amendment to clause 6 :–

"after sub-clause (2) insert a new sub-clause (3) as under :—

"(3) any person aggrieved by such order may appeal against it to the Collector within 30 days of the receipt of such notice,"

माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ ५ में स्टेन्डर्ड एरियाज़ के मुकर्रर करने के बारे में राजस्थान सरकार की तरफ से जो जो आवश्यक कार्यवाही करनी होती है उसका तरीका व्यक्त किया गया है। अब मिनिमम एरिया तय होने के बाद उसको रेकर्ड ऑफ राइट्स (Record of Rights) में दर्ज किया जाता है और उसके बाद जो एरिया रेकर्ड ऑफ राइट्स में दर्ज होगा उसका बाकायदा नोटिस दिया जावेगा। ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि जहाँ इतना बड़ा रेकर्ड का काम हो और रेकर्ड तैयार किया जावे उसमें कहीं खामी रह जावे या कमी रह सकती है। इसलिये जब इस प्रकार का प्रोविजन हमारे यहाँ मौजूद है कि इस प्रकार का रेकर्ड तैयार किया जावे :

"Notice of every entry made under sub-section (1) shall be given in the prescribed manner."

तो फिर उस एन्ट्री में अगर कोई गलती हो तो उसका क्या किया जावेगा उसके लिये कोई प्रोविजन नहीं। इस प्रकार का प्रोविज़न नहीं होना कानून में बहुत नुकसान देह हो सकता है और कठिनाई पैदा कर सकता है। इसलिये मैंने यह संशोधन पेश किया है कि एन्ट्रीज़ जो की जावेंगी उनके बारे में अगर कोई गलती रह गई है और किसी को ऐतराज हो तो वह ३० दिन के अन्दर ऐतराज पेश कर सकता है, ऐसा करने का उसको अधिकार होगा। इसलिये मैंने सब क्लॉज़ (३) में यह जोड़ दिये जाने की माँग की है। इस प्रकार का प्रोविजन कानून में न होने से अगर किसी प्रकार

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

की एन्ट्रीज़ में गलती रह जावेगी तो उसका शोधन कैसे होगा ? इसलिये कोई न कोई निकारण का रास्ता तो जरूर होना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना अमेन्डमेंट प्रस्तुत करता हूँ।

श्री टीकाराम पालीवाल—अध्यक्ष महोदय; मुझे इसमें कोई सन्शोधन करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। अगर इसकी जरूरत पड़ी तो बाद में रूल्स में एड किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—रूल्स में लिया जा सकता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इसके लिये कोई प्रोविजन नहीं है। कम से कम इसके लिये प्रोविजन तो होना चाहिये जिससे रूल्स में ले लिया जावे। मान लें कि रूल्स में लेते समय यह बात ध्यान में नहीं आई तो इसलिए इसमें प्रोविजन हो तो अच्छा है। आप जानते हैं कि इतनी एन्ट्रीज़ होंगी, तो अवश्य कहीं न कहीं तो गलती होगी ही। इसलिये यह एमेन्डमेंट स्वीकार कर लिया जावे।

श्री टीकाराम पालीवाल—मैं आपका ध्यान क्लॉज़ ४५ की ओर दिलाना चाहता हूँ, आप देखिये। उसका स्कोप बहुत वाइड (विस्तृत) है......

श्री अध्यक्ष—(श्री व्यास को सम्बोधित करते हुए) You want it to be incorporated in the Act it self.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Yes, Sir.

श्री टीकाराम पालीवाल—Clause 45, "Rules can be framed to carry out the purpose of the whole Bill."

श्री अध्यक्ष—May I put it to vote. The question is that the amendment moved by Shri H. K. Vyas be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is lost.

(विराम)

The qnestion is that clause 6 be accepted.

(स्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

Clause 6 is added to the Bill.

(विराम)

Clause 7, Shri H. K. Vyas.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I do'nt want to move the amendment.

श्री अध्यक्ष—Clauses 7, 8 and 9.

(विराम)

The question is that clauses 7, 8 and 9 be accepted.

(स्वीकृत)

Clauses 7, 8 and 9 are added to the Bill

(विराम)

Clause 10, Shri H. K. Vyas.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Before I speak, Sir, I would seek clarification on the point of procedure. I have given two amendments-one is negative and the other is an amendment in regard to certain alterations in the clause. How will they be taken Sir. Should we dispose of the negative first ?

श्री अध्यक्ष— Take the negative first.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Speaker, Sir, I beg to move the following amendment to clause 10 :—

"Delete clause 10 and renumber the rest of the clauses accordingly."

माननीय अध्यक्ष, जैसा कि फ्रेगमेन्ट-एरिया के बारे में ऑब्जेक्शन आदि लेकर निर्णय देने के लिए क्लॉजेज़ ४, ५, ६ व ७ हैं, उसी प्रकार उसके नतीजों से जो आर्थिक हालत पैदा होगी उसके लिए क्लॉजेज़ १०-११ हैं।

आज की जो परिस्थिति है उसमें सब मानकर चलते हैं कि कई ऐसे प्लॉट्स हैं जो कि मिनिमम एरिया से कम एरिया के होंगे, जो क्लॉज़ १०–११ हैं वे ऐसे एरिया के लिए लिखे गये हैं। अब इसके सम्बन्ध में कुछ बन्धन डाले गये हैं और वे बन्धन क्लॉज़ १० व ११ से सम्बन्धित हैं। जो सबसे बड़ा बन्धन डाला गया है वह यह है माननीय अध्यक्ष, कि जो छोटे-छोटे प्लॉट्स हैं वे दूसरों को दे दिये जांय, उनको बेच दिये जायं और जहाँ छोटे-छोटे प्लॉट्स हैं वे

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

मिनिमम एरिया में बड़े प्लॉट स बन जायें, प्रेक्टिकल प्लाट स बन जांय। यह बन्धन है वह कहाँ तक ठीक है इस पर विचार करना है। क्लॉज़ १० में कीमत मुकर्रर की गई और उसके बारे में प्रोविजन किया गया है। मेरे खयाल से इस प्रकार का प्रोविजन एक दम अनावश्यक है। जो प्लॉटस हैं उनको बेचने और ट्रान्सफर करने के सम्बन्ध में हम यह बन्धन डालते हैं कि कीमत उनकी पहले कलेक्टर तय करेगा। पहले जिसका प्लॉट होगा वह कलेक्टर को एप्लाई करेगा और उसके आधार पर ट्रान्सफर किया जा सकेगा। इसका तात्पर्य यह होगा कि एक बुरा-सा बन्धन लोगों पर पड़ जायगा और फिर उसमें तरह-तरह की खराबियाँ पैदा होने लगेंगी और तरह-तरह के नाजायज दबाव लोगों पर पड़ेंगे। अतएव सबसे पहले इस क्लॉज़ १० की अनावश्यकता को महसूस कर लेना चाहिए।

"No land in any notified area shall be transferred or partitioned so as to create a fragment."

क्लॉज़ ७ के मुताबिक भी उसके ऊपर बन्धन लगाये गये हैं कि वह कन्टीन्युअस एरिया में हो तो आ सकता है। इसलिए फिर आगे बन्धन नहीं होना चाहिए। जो अच्छी कीमत उस प्लॉट की दे सकता है वह उसी को देगा। गरीब आदमी के पास वैसे ही छोटे-छोटे प्लॉट स होते हैं और यदि उनको उसकी पूरी कीमत नहीं मिलेगी और कलेक्टर को कीमत निर्धारित करने का अधिकार दे दिया जावेगा तो इससे कई खराबियाँ पैदा हो जावेंगी। इसलिए कलेक्टर अधिकार की कीमत निर्धारित करेगा, यह देने की आवश्यकता नहीं है। वह चाहे जिसको बेच सके। कितनी कीमत में बेचा जावे, यह भी आवश्यक नहीं है। अतः यदि क्लॉज़ १० को हटा दिया जाय तो कोई नुकसान नहीं होगा। प्रोसिजर के बारे में क्लॉज़ ११ में लिखा है कि "The person referred to in the preceding section shall in the first instance offer the fragment for sale to the land holders and tenants of conti guous survey numbers or recognised sub-divisions of survey numbers..." तो सबसे पहले उस आदमी को मौका मिल जाना चाहिए कि वह अपनी मर्जी के अनुसार कीमत में दूसरों को बेचे। अब सवाल रहता है कि आस-पास के लोगों को, यदि खरीदना न हो तो, या वे लेने से इनकार करें, उस हालत में क्लॉज़ ११ के प्रोविजन के अनुसार फिर वह कलेक्टर को एप्लाई करेगा और कलेक्टर उसको ले लेगा। इन सबका नतीजा यह होगा कि जो नोर्मल दिक्कतें हैं, हालतें है उनमें उथल-पुथल मच जायगी और जिनके पास छोटे-छोटे प्लॉटस हैं उनकी आफत हो जायगी। इसलिए मेरी यह राय है कि कलेक्टर से कीमत कराने के बजाय इसको मार्केट पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए। अतः क्लॉज़ १० को डिलीट कर दिया जाना चाहिए। मैं यह अमेन्डमेंट सदन के सामने प्रस्तुत करता हूँ।

(राज श्री हिम्मतसिंह, सभापति, पदासीन)

कुँ० श्री जसवन्तसिंह--माननीय चेयरमेन, मेरे माननीय मित्र की जो तजवीज है वह गलतफहमी के आधार पर आधारित है। जैसा कि उन्होंने कहा, इससे गरीब आदमियों को नुक्सान होगा, किन्तु मेरा खयाल है कि ऐसे क्लॉज़ के रखने से गरीब आदमियों को फायदा पहुँच सकता

Page No.47

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

है। जो छोटे-छोटे फ्रैगमेंट्स हैं, यदि उनके सम्बन्ध में गवर्नमेंट मदद नहीं देगी तो आस-पास के जो दूसरे प्लॉट्स वाले हैं वे उनको कम कीमत देंगे और इससे उसको नुकसान होगा। अगर पहले कलेक्टर के पास कीमत तय कराने के लिए जाय तो उसके लिए यह देखना लाजमी हो जाता है कि उस प्लॉट की क्या कीमत है, उसके पास की जमीन किस तरह की है और उसकी क्या वेल्यु है आदि; तो कलेक्टर इन सब पहलुओं को अच्छी तरह से पहले देखेगा और उसके पश्चात् उनकी कीमत मुकर्रर कर देगा। कीमत मुकर्रर करने के बाद अगर पड़ौसियों को जरूरत हुई तो वे ले लेंगे और अगर वे नहीं लेंगे तो सरकार के लिए जरूरी हो जायगा कि उस फ्रैगमेंट को उसी कीमत पर ले ले। इस प्रोविजन को रखने से, मेरे खयाल से तो गरीब लोगों के लिए फायदे की बात बन जाती है। अतः मेरे खयाल में क्लॉज़ १० और ११ रखने आवश्यक हैं।

सभापति—श्री भैरूंसिंह।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—I beg to move the following amendment to clause 10 :—

"Delete the words (line 6) 'and such determination shall be final and conclusive for the purpose of this chapter.'

"Two new sub-clauses be added and renumbered accordingly :—

(1) Any person aggrieved by the decision of the Collector may prefer an appeal in the Court of the District & Sessions Judge within a period of 30 days.

(2) The Collector while determining the price of the holding shall have regard to the provisions of the Rajasthan Land Acquisition Act, 1953.'

माननीय चेयरमेन, इस क्लॉज़ के विषय में सोचते वक्त राजस्थान की एक पुरानी कहावत याद आ जाती है। राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है कि "दूबलो और दो आषाढ़"। अर्थात् जो कमजोर होता है उस पर चौतरफ से हमला हो। राजस्थान में यह मानकर चलते हैं कि जमीन का बंटवारा ठीक प्रकार से हुआ नहीं है। किसी के पास जमीन ज्यादा है तो किसी के पास जमीन कम है। सरकार के पास इस प्रकार की जमीन का बंटवारा करने के लिए कंसोलिडेशन के जरिए से जो तरीका है उस तरीके को मैं किसी भी हालत में बुरा नहीं बतलाता। राजस्थान में जमीन के हिस्सों को एक करना राजस्थान के हित में अच्छा हो सकता है। इसमें कई अड़चनें जरूर आवेंगी, लेकिन उनको ठीक ढङ्ग से दूर किया जा सकता है। जहाँ तक कंसोलिडेशन की नीति है उसके खिलाफ कुछ कहने को नहीं है। लेकिन कंसोलिडेशन करते वक्त हमें इस बात का खयाल रखना पड़ेगा कि जिनके पास छोटे-छोटे टुकड़े हैं, जिन टुकड़ों पर से हम उनका अधिकार उनसे छुड़वाते हैं, उस जमीन पर सरकार कब्जा करती है या पास वाले जितने किसान हैं वे उस जमीन पर कब्जा करते हैं; तो ऐसी सूरत में हमें

[श्री भैरूँसिंह (दांता रामगढ़)]

यह खयाल रखना पड़ेगा कि राजस्थान की जनता को राहत पहुँचाने के बजाय कहीं उन लोगों को आहत नहीं होना पड़े। यदि ऐसी स्थिति हुई कि राहत पहुँचने के एवज में उसको कहीं आघात पहुँचे तो मैंने यह संशोधन रखा है कि उस जमीन की कीमत की जाय और कीमत करने में जैसा कि संशोधन में है "The Collector shall after hearing the applicant and the land holders and tenants of the contiguous survey numbers or recognised sub- divisions;" तो जिसने दरख्वास्त दी है अपने टुकड़ों को बेचने के लिए उसकी and the land holders जो कि उस जमीन के मालिक हैं, उनकी राय ले ली जाय और खास तौर पर उनकी राय विशेष रूप से ली जाय जिनके कि उन टुकड़ों के आस-पास खेत हैं। माननीय चेयरमेन, यह हो सकता है कि जिस फ्रेगमेंट के चौतरफ तीन-चार खेत हों और वे आपस में मिल कर इरादा कर लें कि अमुक के पास काफी जमीन है और उस फ्रेगमेंट को शामिल करने की आवश्यकता नहीं है और यह भी हो सकता है कि उस आदमी को नुकसान पहुँचाने की वजह से वे तीन चार आपस में मिलकर कलेक्टर के पास पहुँच जायं और अपनी स्कीम रख दें जिसके अनुसार उस जमीन की कीमत कम हो सकती है उस फ्रेगमेंट वाले को कम कीमत मिल सकती है और कलेक्टर साहब बहुत मुमकिन है कि उस फ्रेगमेंट की कम कीमत कर दें तो उसको जमीन छोड़ना पड़ेगा और पास वाले को वह टुकड़ा मिल जायगा। तो इससे एक आदमी का तो फायदा हो सकता है और दूसरे को इससे नुकसान पहुँच सकता है और उस नुकसान होने की हालत में भी जो कलेक्टर का फैसला है उसको आखिरी फैसला समझा जावेगा।

इसके बाद मैं अपील करने की कोई गुन्जाइश नहीं हो सकती। कलेक्टर मिसगाइड हो सकता है, किसी के दबाव में आकर जमीन की कीमत करते वक्त उस गरीब को मारने की बात सोच सकता है और उस जमीन की कीमत कम से कम हो, उसको आर्थिक नुकसान हो, ऐसा कर सकता है। तो उस वक्त उसको कलेक्टर के निर्णय को मानना पड़ेगा; वह जिस तरह से चाहेगा जमीन की कीमत कम दिलवायेगा और उसकी अपील का कहीं प्रोवीजन नहीं है इसलिए अपील करने का मेरा संशोधन है; इसलिए इन शब्दों को हटा दिया जाय and such determination of the Collector shall be final. वह कलेक्टर का आदेश फाइनल नहीं हो सकता अगर किसी आदमी को कलेक्टर के फैसले के खिलाफ अधिकार हो, अपील करने का, तो वह डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन्स जज की कोर्ट में अपील कर सकता है।

दूसरा संशोधन मेरा यह है कि लेन्ड की मार्केट वेल्यु तय करने के लिए लेन्ड एक्वीज़ीशन एक्ट, १९५३ में जो प्रोसीजर है उसे यहाँ पर भी लागू किया जाना चाहिये। किसी जमीन की कीमत को कूंतते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिये, यह बात उस एक्ट से ली जानी चाहिए। इसके लिए लेण्ड की कीमत को ठीक तरह से कॉन्सोलीडेट करने के लिए लेन्ड एक्वीज़ीशन एक्ट में जो Provisions हैं लेन्ड की मार्केट प्राइस को डिटर्मिन (deremine) करने में वह ठीक है। वही प्रोवीज़न्स राजस्थान कन्सोलिडेशन एन्ड फ्रेगमेंटेशन बिल में भी रखे जाने चाहिए। आशा है, इससे लोगों को नुकसान नहीं हो सकेगा। मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करूँगा कि वे इस संशोधन

[श्री भैरूँसिंह (दांता रामगढ़)]

को स्वीकार कर ले तो उनकी सरकार के लिए और जनता के लिए, सबके लिए अच्छी चीज होगी।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह— माननीय चेयरमेन, मैं नहीं समझ सकता कि इसमें लेन्ड एक्वीज़ीशन एक्ट के प्रोवीजन किस तरह से लागू होंगे क्योंकि अगर सरकार किसी जमीन के टुकड़े को एक्वायर करे, अगर वह जबरदस्ती करती है तो लेण्ड एक्वीज़ीशन एक्ट के प्रोवीजन लागू हो सकते हैं, किन्तु एक काश्तकार, उसकी खुशी से जिसके पास बहुत कम जमीन है जिसको वह चाहता है कि इसका फ्रेग्मेंट हो, क्योंकि वह सोचता है कि इस छोटे से टुकड़े से उसको किसी प्रकार फायदा नहीं पहुँच सकता वह किसी को बेच सकता है। इसके लिए लेन्ड एक्वीज़ीशन एक्ट के प्रोवीजन काम में लाये जाँय, यह कोई अच्छी बात मालूम नहीं होगी।

दूसरी बात जो कही गई है वह है कलेक्टर के लिए। यह जो कहा गया कि कलेक्टर, जो डिस्ट्रिक्ट का बहुत बड़ा सीनियर अफसर है, उसके लिए यह कहा जाय कि वह उस जमीन के पास के मालिकों के इन्फ्लुएन्स में आ सकता है और जमीन की कम कीमत दिलवा सकता है यह जो कलेक्टर के लिए कहा गया है जो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, क्या यह उसके साथ न्याय नहीं है? मेरे खयाल में जो अमेन्डमेंट श्री भैरूँसिंहजी ने रखे हैं वे दोनों उनकी गलत फहमी की वजह से है। मौजूदा प्रोवीजन है वह ठीक है, उससे किसी प्रकार का नुकसान मालूम नहीं होता इससे किसी प्रकार भी काश्तकारों को नुकसान होने वाले नहीं हैं।

श्री टीकाराम पालीवाल (सिंचाई मंत्री)— माननीय सभापति, विरोधी दल के नेता ने, जो बातें मुझे कहनी थीं, कह दी हैं। मुझे इन संशोधनों को स्वीकार करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

अपील के बारे में जरूर सोचा जा सकता है किन्तु मेरा खयाल है कि उससे प्रोसीडिंग्ज़ लम्बी हो जायगी, देर हो जायगी और नतीजा कोई ज्यादा अच्छा नहीं निकलेगा। अगर सदन की इस बारे में राय हो तो मुझे इसमें कोई विरोध नहीं होगा, लेकिन इसका बहुत बड़ा उपयोग भी नहीं होगा और अनावश्यक भी नहीं होगा।

श्री भैरूँसिंह (वि० सं० १६)—अगर इसमें कोई नुकसान नहीं है तो इसको एक्सेप्ट कर लिया जाय।

श्री टीकाराम पालीवाल—(अपना भाषण जारी रखते हुए) अनावश्यक देर लग जायगी। दूसरी बात यह कही गई कि जमीन की वेल्युएशन (valuation) के लिए लेन्ड एक्वीज़ीशन एक्ट में जो प्रोवीजन्स हैं वे यहाँ रख लिए जाँय, इसको मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ क्योंकि इस चीज को रूल्स में इन्कोर्पोरेट कर लिया जायगा रूल्स बनाते समय कुछ गाइडेन्स (guidance) के लिए प्रिन्सिपल्स ले डाउन (lay down) किये जा सकते हैं कि किस आधार पर वेल्युएशन नियत की जाय, यह सब

[श्री टीकाराम पालीवाल]

रूल्स में आ जायगा । ऐसी हालत में जैसा भी प्रोवीजन है वैसा ही रहने दिया जाय तो ठीक है ।

श्री भैरूँसिंह—अपील करने का जो सवाल है वह रूल्स में नहीं आ सकता ।

श्री टीकाराम पालीवाल—आ तो सकता है ।

श्री भैरूंसिंह—इस क्लॉज में एडजस्ट कर दिया जाय तो अच्छा है ।

श्री टीकाराम पालीवाल—रूल्स सम्बन्धी जो सेक्शन है उसका स्कोप वाइड है और उसमें इस प्रकार की बात आ सकती है ।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—जो अपील का सुझाव दिया गया है उसको इसी के अन्दर प्रोवाइड कर दिया जाय तो बहुत ठीक रहेगा ।

श्री टीकाराम पालीवाल—इससे अन्नेसेसरी डिले (अनावश्यक विलम्ब) होगी । जिसे आप फायदा पहुँचाना चाहते हैं उल्टा उसे नुकसान पहुँचेगा, जैसा कि अमेन्डमेंट रीड करता है Any person and not the owner of any such fragment, I mean the owner of such fragment as well as every person aggrieved."

Appeal काश्तकार नहीं करेंगे, करने वाले तो दूसरे ही होंगे और इस तरह से अपील करने से उल्टे लोग मुकदमे बाजी में फँसेंगे ।

श्री भैरूंसिंह—डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन्स जज से फैसला हो जायगा उस पर इत्मीनान हो जायगा इसलिए यह रखना आवश्यक है, अपील की इसमें कोई गुँजाइश नहीं है इसलिए यह अर्ज किया गया है ।

श्री टीकाराम पालीवाल—मुझे इससे कोई विरोध नहीं है लेकिन इसकी उपयोगिता कम मालूम पड़ती है, उल्टा कहीं यह रखने से नुकसान न हो ?

श्री भैरूंसिंह—अपील में कोई नुकसान का सवाल नहीं है ।

श्री टीकाराम पालीवाल—अपील करने का राइट इस अमेन्डमेंट द्वारा "Any peson, owner of such fragment...

जो पे (pay) करने वाला है इस हालत में ओनर्स ऑफ फ्रेगमेंट का ज्यादा नुकसान हो सकता है, "The owner of fragment" की जगह "Any person" रखा जाय ।

श्री भैरूँसिंह—मैं इससे सहमत हूँ ।

Page No.51

श्री सभापति—यह एक्ज़ीक्युटिव मामला है, कमिश्नर के पास जायगा।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—जहाँ तक इन मामलों के जाने का सम्बन्ध है, वे या तो कमिश्नर्स के पास जाने चाहिए या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाने चाहिए।

श्री टीकाराम पालीवाल—यह ठीक है। Instead of District Sessions Judge......

श्री भैरूंसिंह—रेवेन्यु बोर्ड में या डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जज के पास जाने के बजाय उसी डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर का कोर्ट है उसमें ले जाने से सभी को सहूलियत रहेगी।

श्री टीकाराम पालीवाल—मैं कमिश्नर की बात कहता हूँ।

श्री भैरूंसिंह—उसके यहाँ तो डिस्ट्रिक्ट की अपील हो सकती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ही अच्छा रहता। (श्री जसवन्तसिंह को सम्बोन्धित करते हुए) यह क्या कह दिया आपने ?

अगर आप कमिश्नर के यहाँ रखेंगे तो दूर दूर से लोगों को उस तक पहुँचने में दिक्कत होगी। फिर भी आप यदि नहीं मन्जूर करते हैं, इसलिए मजबूरी में 'कमिश्नर' मन्जूर करना पड़ता है। मेरा जो दूसरा संशोधन है उसके बारे में आपने (माननीय मन्त्रीजी ने) कोई जवाब नहीं दिया है।

श्री टीकाराम पालीवाल—मैंने जवाब दे दिया। मुझे अमान्य है आपका वह संशोधन।

श्री भैरोंसिंह—मैं क्लियर कर दूं जरा इसको। माननीय जसवन्तसिंह जी ने जो फरमाया, कम्पलसरी लैण्ड इक्वीज़ीशन का कोई मतलब नहीं होता। पर, सारे कानून को आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि Land Acquisition Act के तरीके इस एक्ट में सम्मिलित किये गये हैं।

कलॉज १५ सब क्लॉज़ (२) "The amount of compensation shall be assessed by the consolidation officer, so far as practicable, in accordance with the provisions of the Rajasthan Land Acquisition Act, 1953.

आगे भी इसमें कुछ क्लॉजेज़ में दिया हुआ है मैं तलाश करके यह बता दूंगा और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से मार्केट वेल्यू को डिटर्मिन करने का सवाल नहीं है, लैण्ड एक्वीज़ीशन का है।

रूल्स में प्रेस्क्राइब करने से ज्यादा तवालत बढ़ेगी कि जब इस प्रकार का प्रोसीजर है तो इस प्रोसीजर को follow करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि यह उनके लिए और एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स जो हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए सहूलियत होगी। और वह एक प्रकार का बना हुआ

[श्री भैरोंसिंह]

प्रोवीजन है और मैं इन शब्दों के साथ उम्मीद करता हूँ कि माननीय मन्त्री महोदय इस पर दुबारा ध्यान देंगे और अगर आप मान लें तो किसी प्रकार की आपत्ति आपको नहीं होगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय सभापति, यदि आप इजाजत दें तो क्लॉज़ ३२ की ओर आपका ध्यान दिलाऊं जिसके कि पार्ट (c) में डिविज़नल सिविल कोर्ट के पास रिप्रेजेन्टेशन की तजवीज आॅलरेडी है; "The total amount of compensation determined under sub-section (2) of section 25, the consolidation officer shall refer the dispute to the decision of the district civil court."

ऐसी हालत में इस क्लॉज़ में भी इस प्रकार का प्रोवीजन हो जावे तो क्या कठिनाई और अराइज़ होगी, यह मेरी समझ में नहीं आता।

श्री जसवन्तसिंह—सैशन कोर्ट का काम दूसरी तरह का होता है।

श्री भैरोंसिंह—कमिश्नर एग्ज़ीक्यूटिव ऑथोरिटी है।

श्री सभापति—मिनिस्टर इन्चार्ज ने बताया कि इस तरह से अपोइन्ट करने के लिए लिख कर दिया है।

"Any owner of a fragment aggrieved by the decision of the Collector may prefer an appeal to the Commissioner of the Division within a period of 30 days."

(मन्त्री महोदय को सम्बोधित करते हुए) Do you agree.

श्री टीकाराम पालीवाल—This amendment will necessitate deletion of certain words from the original clause itself; particularly words "such determination shall be final and conclusive for the purpose of this chapter."

These words will have to be deleted.

श्री हिम्मतसिंह—You accept the amendment for the deletion ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—What about the Civil Court ?

श्री टीकाराम पालीवाल—No.

श्री भैरूंसिंह—सिविल कोर्ट कर दीजिये साहब।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Then in regard to the Apportionment of compensation the dispute shall be refered to the Civil Court. This also is an amendment.

श्री टीकाराम पालीवाल—The clause has to be sub-divided in two parts. The main clause will be sub-clause (1)

The amendment will be sub-clause (2)

राजा श्री मानसिंह—we could not hear.

श्री टीकाराम पालीवाल—The amendment will make it necessary to break the clause. The main clause as it stands after the deletion of the words will have to be numbered as sub-clause (1) and the amendment will have to be numbered as sub-clause (2).

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—How the amendment will read ?

श्री सभापति—The amedment will read thus:—

"10 (1) Any person holding a fragment who intends to sell it shall make an application in this behalf to the Collector for determination of its market price and the Collector shall, after hearing the applicant and the land holders and tenants of the contiguous survey numbers or recognised sub-divisions of survey numbers, determine the market price.

(2) Any owner aggrieved by the decision of the Collector may prefer an appeal to the Commissioner of the Division within a period of 30 days."

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—You would not say that his decision shall be final. Whose decision shall be final for the purpose of this chapter ?

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह ग्रटेरू)—यह क्लाज १० का सब क्लाज 'बी' है, फिर से पढ़ देता हूँ—

"Any owner of a fragment aggrieved by the decision of the Collector may, within the period of 30 days, prefer an appeal to the Commissioner of the Division whose decision shall be final and conclusive for the purpose of this Chapter."

श्री टीकाराम पालीवाल—I think it is very badly worded.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Whose decision shall be conclusive and final ?

श्री टीकाराम पालीवाल—It shall read like this:—

"Any owner of a fragment aggrieved by the decision of the Collector may within the period of 30 days, perfer an appeal to the Commissioner of the Divis-

[श्री टीकाराम पालीवाल]

ion whose decision shall be final and conclusive for the purpose of this chapter."

This "period of 30 days"; I want to change the order of the words.

श्री वेदपाल त्यागी—मि० चेयरमेन, यह जो शब्द प्रोवाइड हुए हैं कि "whose decision shall be final" यह रिडन्डेन्ट हैं। अगर इन शब्दों को जोड़ देते हैं तो वह अपील नहीं कर सकता हैं। कलेक्टर का ऑर्डर तो वैसे भी फाइनल और कन्क्लूजिव नहीं होगा। इसलिए जब कि राइट ऑफ अपील है तो उसमें उस राइट को एक्सर्साइज़ (exercise) करने के लिए दूसरा राइट ऑफ अपील नहीं मिलता है क्योंकि An appeal is a right given by the Act itself.

इसलिए यह रिडन्डेन्ट है। इसको निकाल दें तो मैं समझता हूँ ठीक रहेगा। इसको रखना कुछ मायने नहीं रखता है।

श्री टीकाराम पालीवाल—No, I think the orders of the Commissioner are revisable by the Revenue Board ordinarily, unless it is specifically laid down; the order will be final and conclusive. That right of revision is given there.

श्री वेदपाल त्यागी—No, the revisional power of the Revenue Board will still be there, because when revision is done तो यहाँ पर रिवीजन ऑफ पावर तो रहेगा, इसलिए यह शब्द लिखना कि वह रिवीजनल ऑथोरिटी है जब रेवेन्यू बोर्ड रिवीजनल ऑथोरिटी है तो इन शब्दों को हटा सकते हैं। इसलिए यह शब्द रिडन्डेन्ड हैं।

श्री टीकाराम पालीवाल—All the same let us have it. So it will read:—

"Any owner of a fragment aggrieved by the decision of the Collector may, within the period of thirty days, prefer an appeal to the Commissioner of the Division whose decision shall be final and conclusive for the purpose of this Chapter.

श्री सभापति—क्लॉज़ १० जिसमें श्री एच. के. व्यास और श्री भैरूँसिंह के अमेंडमेंट हैं उन एमेन्डमेन्टस को जिस तरीके से मिनिस्टर इनचार्ज ऑफ दी बिल ने एक्सेप्ट किया है उसके बाबत मत लिए जाते हैं कि जिस तरह यह तरमीमें की गई हैं उनको पास किया जावे। जो इसके पक्ष में हों वे हाँ कहेंगे और जो इसके पक्ष में नहीं वे ना कहेंगे।

श्री खेतसिंह—तरमीम क्या की गई है?

श्री सभापति—वह तरमीम पढ़ कर सुनाऊंगा। वह तरमीम इस तरह से की गई है। वह जो क्लाज १० है उसके २ भाग कर दिये गये हैं। पहला भाग जो कि सब क्लाज (१) होगा वह इस तरह से होगा—

"(1) Any person holding a fragment, who intends to sell it, shall make an application in this behalf to the Collector for determination of its market price and the Collector shall, after hearing the applicant and the land-holders and tenents of the contiguous survey numbers or recognised sub-divisions of survey numbers, determine the market price."

This is sub-clause (1). Sub-clause (2) will read as follows. —

"(2) Any owner of a fragment aggrieved by the decision of the Collector within a priod of thirty days, prefer an appeal to the Commissioner......"

'मे' शब्द इसमें रह गया है। वह "may, within a period of thirty days, prefer an appeal to the Commissioner of the Division whose decision shall be final and conclusive for the purpose of this Chapter."

यह सब क्लाज (२) है। इस तरमीम के साथ जो इसको पास करने के पक्ष में हों।......

श्री हरिकृष्ण व्यास—एमेंडमेंट वापिस लेने की अनुमति सदन से ली जाय।

श्री सभापति—(श्री हरिकृष्ण व्यास से) आप अमेंडमेन्ट वापिस लेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—I seek leave of the House to withdraw my amendment.

श्री सभापति—क्या हाउस की यह मन्शा है कि श्री एच. के. व्यास अपना एमेंडमेंट वापिस लें?

(स्वीकृत)

इजाजत दी जाती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं अपना एमेंडमेंट विथड्रॉ करता हूँ।

श्री भैरूं सिंह (वि० सं० १६)—I also seek permission of the House to withdraw my amendments as numbered (a) and (b).

श्री सभापति—क्या हाउस की मन्शा है कि भैरोंसिंहजी अपना एमेंडमेंट वापिस लें ?

(स्वीकृत)

इजाजत दी जाती है ।

श्री भैंरूंसिंह—I withdraw my amendment, Sir.

श्री सभापति—जिस तरह से मिनिस्टर इन चार्ज ने इस क्लॉज़ के ऊपर एमेंडमेंट दिया है उसके बाबत मत लिये जाते हैं । क्या सदन को यह स्वीकार है ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १०, संशोधित रूप में विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

श्री सभापति—क्लॉज़ नं० ११, इस पर श्री भैरोंसिंहजी का एमेंडमेंट है ।

श्री भैंरूंसिंह (वि० सं० १६)—Mr. Chairman, Sir, I beg to move the following amendment to Clause 11:

"A new proviso should be added after this clause :—

"provided that nothing shall prevent any person holding a fragment from making its transfer to the tenants of the contiguous survey numbers on mutual agreement and with the prior sanction of the Collector."

माननीय सभापति, क्लॉज ११ के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति अपने ज़मीन के टुकड़े को इस एक्ट के कारण दूसरे आदमी को देना चाहे तो पहले उसको दरख्वास्त देनी पड़ती है कलेक्टर की कोर्ट में कि उस जमीन के टुकड़े की कीमत आँकी जाय और इस तरह से क्लॉज़ १० में जो प्रोवीज़न्स हैं उसके आधार पर कलेक्टर साहब उस जमीन के टुकड़े की कीमत आंकेंगे। क्लाज ११ में "The person referred to in the preceding section shall, in the first instance offer the fragment for sale" व जिस वक्त जमीन के टुकड़े की कीमत आंकी जाय उसके बाद जो उस टुकड़े का मालिक है वह सबसे पहले उस जमीन के टुकड़े को अपने पास वाले किसी न किसी को देने की कोशिश करेगा, जैसा कि इस क्लाज में कहा गया है :

"Tenants of contiguous survey numbers or recognised sub divisions of survey numbers and, in case of their refusal to purchase for the price as deter-

[श्री भैरूसिंह (वि० सं० १६)]

mined in the last preceding section, may transfer it to the state Government for the purpose of the State on payment of such price as aforesaid........"

माननीय सभापति, मेरा इस बारे में निवेदन यह है कि कोई भी व्यक्ति यदि आपस में तय करले कि जिस किसी का टुकड़ा छोटा है और वह इस एक्ट के मातहत छोटा टुकड़ा नहीं रख सकता तो उसके सामने दो तरीके हैं, एक तो यह कि वह कलेक्टर के सामने दर्ख्वास्त देकर जमीन की कीमत तय करावे और फिर आसपास के खेतिहर लोगों को ओफर (offer) करे। यदि वे लोग उस टुकड़े को लेते हैं तब तो ठीक है और यदि नहीं लेते हैं तो वह जमीन गवर्नमेन्ट की हो जायगी और गवर्नमेन्ट अपनी मर्जी के मुताबिक, जैसा कि आगे क्लॉज़ में है, अपने इस्तेमाल में ला सकती है या दूसरे को दे सकती है। मेरा अमेन्डमेन्ट यह है कि किसी आदमी के पास छोटा टुकड़ा है, इसलिये उसे दूसरे आदमी को देना है तो वह कलेक्टर साहब की रजामन्दी के बजाय अपनी मरजी के अनुसार दूसरे आदमी को दे सकता है। कीमत की कोई बात नहीं है, कीमत तो म्युच्युअल अंडरस्टेंडिंग (mutual understanding) के अनुसार हो सकती है। कीमत के लिये न तो कलेक्टर के पास दर्ख्वास्त देनी पड़ेगी और न क्लॉज़ १० के अनुसार दर्ख्वास्त देकर कीमत तय करानी पड़ेगी और यदि वे चाहें तो आपस में अदल-बदल करलें। मान लीजिये कि दो टुकड़े मिलाकर भी फ्रेग्मेन्टेशन रहेगा तो मैंने अपने संशोधन में लिखा है कि "with the prior sanction of the Collector;" कलेक्टर साहब इस बात का ध्यान देंगे कि कानून की अवहेलना तो नहीं की जा रही है या दो फ्रेग्मेन्टेशन तो नहीं होते या टुकड़े ज्यादा तो नहीं होते। इस बात की जांच करके कलेक्टर साहब approve करेंगे, इसलिये मैंने यह संशोधन दिया है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—चेयरमेन महोदय क्या मन्शा है भैरोंसिंहजी की, समझ में नहीं आया। यदि उनकी यह मन्शा है कि यह फ्रेग्मेन्टेशन कंटिग्युअस होल्डिंग के साथ न रहे और थर्ड परसन को दे दिया जाय तो यह फ्रेग्मेन्टेशन हमेशा वहाँ पर कायम रहेगा।

श्री भैरूसिंह—On a point of information, Sir, मेरा संशोधन यह है ?

"Provided that nothing shall prevent any person holding a fragment from making its transfer to the tenants of the contiguous survey numbers on mutual agreement and with the prior sanction of the Collector." इससे आपको शक पैदा नहीं हो सकता।

श्री टीकाराम पालीवाल—अध्यक्ष महोदय, इस अमेंडमेंट......

श्री खेतसिंह--ओन ए पोइन्ट ऑफ इन्फार्मेशन, सर, हाउस का कोरम पूरा नहीं है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह--शायद माननीय सदस्यों को कह कर बाहर भेज दिया गया है ।

श्री मथुरादास माथुर--आज गोपीलालजी यादव के यहाँ पार्टी है, इसलिये शायद सदस्य वहाँ जाने वाले हैं ।

श्री सभापति--The session should be adjourned. How can we proceed without quorum ? If there is no quorum the House cannot function.

Mr. Chairman, Sir, the procedure prescribed under the rules that if the matter is brought to the notice of the Chairman, then the quorum bell shall be rung and after that even then if there is no quorum we may adjourn. So the chair must ring the quorum bell.

(गण-पूरक घन्टी)

श्री मथुरादास माथुर--घन्टी बजने के बीच में ही)

I request one thing. For tomorrow the House should meet only in the morning because tomorrow is Friday and most members take advantage of the Saturday and Sunday and if they meet in the evening, then no one can go in the evening. So we meet tomorrow at 7. 30 A. M. till 11. 30 or till whatever time we fix.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह--we agree to meet at 7.30 till 11. 30:

(घन्टी बज चुकने के पश्चात् सदस्यों की गणना हुई)

एक माननीय सदस्य--15, Sir.

श्री सभापति--16.

श्री टीकाराम पालीवाल--I was just saying that I agree with principles of the Bill, but it has to be examined where it should be put in, where it should be added.

श्री खेतसिंह--Now, there is again no quorum.

Page No.59

श्री सभापति—Then we must postpone consideration of the clause. It seems that the members do not want to work this evening. So we adjourn now for tomorrow and we shall meet again at 7. 30 A. M. in the morning.

(सदन की कार्यवाही ७ बज कर १५ मिनिट पर कल, दिनांक २८ मई, १९५४ के ७-३० प्रातः तक के लिये स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक–१७ मई, १९५४.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा ।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ६३४ घ का उत्तर देखिये)

(7) There shall initially be twelve Directors of the company of whom three will be nominated by the managing Agents, three by the Government, provided the share Capital subscribed by Government is not less than 30%, and two Directors will be the representatives of the Shareholders of the Bikaner State or its subjects, provided they hold further 15 to 20% of the issued capital. In case the subscribed Share Capital by the State subjects is less than 15%, only one Director on their behalf will be on the Board of Directors.

(8) If at any time during the term of the lease hereinafter mentioned, any deposit of Gypsum, other than that delinted in the maps and plans annexed to the Schedule, be buried in any part of the State the Licensees shall have the first option for the grant of license for such deposits on terms to be mutually agreed upon.

(9) If any underground or mineral rights in any lands or mines covered by this license be claimed by any Pattedar, Bhogta or other person, then the Government shall, upon notice from the licensees, take necessary action to put them in possession of all such lands and mines free of all costs and charges to the Licensees.

(10) The Licensees shall during the said term yield and pay unto the Government the following rents and royalties :—

(a) On all sales within the Bikaner State of the Minerals such royalty as may be payable in accordance with the Schedule of royalties in force within the State of Bikaner from time to time for Gypsum consumed or sold for consumption within the territories of the Bikaner State; and in the absence of any such schedule, according to a rate which may be mutually agreed upon.

(b) A royalty at the rate of annas eight per ton on all exports and despatches of Gypsum out of the State of Bikaner, or for Gypsum used or sold for use for any industrial purposes within the territories of the Bikaner Government.

(c) The Company will pay a minimum royalty of Rs. 25000/- (Rupees Twentyfive thousand) irrespective of the fact whether it is able or not to sell or export 50,000 tons of Gypsum per year under clauses (a) and (b) above.

(d) A royalty at the rate of Re. 1/- per ton on all Selenite raised for use in the manufacture of Plaster of Paris.

(11) The Licensees shall also be liable to pay $12^1/_2\%$ of the profits, by way of tax on their income, till such time as on Income-tax Act is passed in the Stat e, when the payment of such tax shall by governed by the provisions of that Act, provided that if in any year during the first two years the net profits of the company do not exceed 5% the aforesaid Tax shall be waived in the event of the Bikaner State becoming a participator in any Federal Scheme of the Government of India, any tax imposed together with the tax payable to the Government shall not entail a greater burden upon the licensees than borne by similar industry in British India.

(12) The Government shall be entitled to receive from the Company in addition to Rents and Royalties due from them in pursuance of the Mining lease and the tax on their income, to which they may be entitled, a sum equivalent to $2^1/_2\%$ of the net profit before deducting the Manging agency Commission of the Company for each year, as defined in Section 27 (C) of the Indian Companies Act, as applicable to the Bikaner State.

(13) The import of machinery, spare parts, stores, raw materials and other materials required in connection with the production and export of Gypsum or manufacture of Plaster of Paris, or any bye-product of Gypsum, shall be exempt from payment of custom duty and Government taxes other then those mentioned above during the peiod of the lease. Similarly all export of Gypsum and Plaster of Paris and bye-products of Gypsum manufactured during the period of the lease shall be exempt from customs duty and other Government taxes.

(14) The Government shall grant to the Licencees of the Company, as the case may be, land at the concessional industrial rates for office, bactories, Godowns, and other pruposes appurtenant thereto at Jaipur and Bikaner at the states available or set apart for industrial rate for major industries.

(15) Water and power will be supplied to the licensees by Government where available, at concessional industrial rate for major industries.

(16) All States requirements of Gypsum or its bye-products shall be used by the Licensees at special Concessional rates to be settled with the Company.

Page No.62

(17) In case of breach of any of the terms of this agreement or of the Mining Lease, the Licencor shall be free to revoke this Agreement an opportunity will however be given to the Licensees to put forward their objections, if any, which will be duly considered by the licensor.

(18) Whenever any question or dispute arises between the Government and the Licensees in regard to the construction, meaning or effect of these remarks, or of any clause herein contained, or in regard to the base annexed hereto or in matters relating to or arising out of these presents, such question or dispute shall be referred to two arbitrators one to be nominated by each party and in the case of disagreement between two arbitrators or umpire appointed by the arbitrators in writing before proceeding with arbitrating and the decision of such arbitrators or Umpire shall be final and binding on the parties.

परिशिष्ट २

(अतारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सदन की मेज पर रखे गये)

प्रश्न

१३. (३०३ । सी० एम०) श्री चाँदमल मेहता, एम० एल० ए० विभाजन संख्या ८७ :—

क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान मोटर गैरेज में कितनी मोटरें हैं ?

(ख) मंत्रियों व उपमंत्रियों के अलावा किन-किन अफसरों को मोटर गैरेज से गाड़ियां दी जाती हैं ?

(ग) मंत्रियों की मोटरों के अलावा अन्य मोटरों पर प्रति वर्ष कितना खर्चा होता है ?

उत्तर

(क) इस समय स्टेट गैरेजेज़ में ५३ मोटरें हैं।

(ख) मंत्रियों और उपमंत्रियों के अलावा निम्नलिखित कार्यों के लिए भी मोटरें आवश्यकतानुसार तैनात की जाती हैं।

१. एक कार स्पीकर, राजस्थान लेजिस्लेटिव एसेम्बली के लिए।
२. तीन स्टाफ कारें राजस्थान सैक्रेटेरियेट स्टाफ के लिए।
३. एक कार एसेम्बली सेक्रेटेरियेट के लिए, असेम्बली सैशन के दिनों में।
४. सरकारी अधिकारियों को जिनसे निश्चित चार्जेज़ लिए जाते हैं।
५. टूरिस्ट और विज़ीटर्स को जिनसे निश्चित चार्जेज़ लिए जाते हैं।
६. सरकारी महकमे जिनसे निश्चित चार्जेज़ लिए जाते हैं।

(ग) २७०००) रु० लगभग प्रति वर्ष जिनमें एस्टेब्लिशमेंट पेट्रोल और तेल का खर्चा, जो इन गाड़ियों में खर्च होता है शामिल नहीं है। पेट्रोल का ३००००) रु० तथा मोबिल का ५००) रु० खर्चा है।

प्रश्न

१४. (१५३ । आर० एम०) श्री चाँदमल मेहता, एम० एल० ए०, विभाजन संख्या ८७ :—

क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) मार्च १९५४ में किशनगढ़ सब डिविजन में कितने रुपये तकावी के तकसीम किये

गये ? उक्त रकम किस-किस को कब-कब कितनी-कितनी दी गई ? प्रत्येक आदमी का नाम-ग्राम जाति सहित बतलाया जावे ?

(ख) उक्त व्यक्तियों में से ऐसे कौन-कौन व्यक्ति हैं जो स्वयं काश्त करते हैं, उनके कितनी-कितनी जमीन कहां-कहां है ?

(ग) ऐसे कौन-कौन व्यक्ति है जो हाली रख कर काश्त करते हैं, उनके कितने-कितने बीघा जमीन कहां-कहां है और उन जमीनों के पानड़ियों के क्या-क्या हैं।

(घ) इन व्यक्तियों में से ऐसे कितने आदमी हैं जिनके नाम जमीनें बिल्कुल नहीं हैं ?

(ङ) इनमें से जागीरदार कितने हैं ?

(च) ऐसे कितने व्यक्ति को तकावी दी गई है जो अजमेर मेरवाड़ा के रहने वाले हैं ?

(छ) ऐसे जागीरदार कितने हैं जिन्होंने पांच-पांच नाम से रुपये लिये हैं ?

उत्तर

क.
ख. } इनके बारे में सूचना सदन की मेज पर पेश कर दी गई है।
ग.

घ. कोई नहीं।
ङ. तीन।
च. कोई नहीं।
छ. कोई नहीं।

नक्शा किशनगढ़ में मार्च सन् १९५४ में तकावी तकसीम की गई जिसका प्रश्न नं० १५३ आर० एम० प्रश्नकर्त्ता श्री चांदमल मेहता

नं० शु०	नाम ग्राम	नाम आसामी मय ज्ञाति	तारीख	तादाद रकम	स्वयं काश्त करता है तो कितनी-कितनी जमीन कहाँ कहाँ पर है	हाली रखकर काश्त करते हैं तो कितनी २ जमीन कहाँ २ पर है	वि० वि०
१	२	३	४	५	६	७	८
१.	मोहनपुरा	सरदारा वल्द देवा गूजर	५-३-५४	५००)	खुद काश्त करता है मोहनपुरा में ३० बीघा जमीन है।	निल	
२.	चिताखेड़ा	रामदीनदास वल्द नारायणदास साधु	,,	५००)	,, चांताखेड़ा में १२ बीघा जमीन है।	,,	
३.	किशनगढ़	सुरसिंह वल्द अमरसिंह राजपूत	६-३-५४	१०००)	स्वयं काश्त नहीं करता है, हाली से काश्त कराता है।	हाली काश्त करता है।	
४.	रलावता	रामसिंह वल्द शिवदानसिंह राजपूत	,,	५००)	खुद काश्त करता है रलावता में १५२ बीघा जमीन है।	निल	
५.	काली डूंगरी	छीतर वल्द नाथू जाट	,,	१२००)	,, काली डूंगरी में १५२ बीघा जमीन है।	निल	
६.	रलावता	श्रीधर वल्द लक्ष्मीनारायण ब्रा०	१०-३-५४	५००)	,, रलावता में २४ बीघा जमीन है।	निल	
७.	चीताखेड़ा	गोरुखां वल्द उमरावखां पठान	१३-३-५४	५००)	,, चीताखेड़ा में ३५ बीघा जमीन है।	निल	
८.	गंगवाणा हाल चांदियावास	अलीमोहम्मद खां वल्द गुलाब पठान	१५-३-५४	१०००)	,, चांदियावासमें १५० बीघा जमीन है।	निल	
९.	किशनगढ़	रामचन्द्र वल्द हीरा माली	,,	५००)	,, किशनगढ़ में ३० बीघा जमीन है।	निल	
१०.	,,	शामसिंह वल्द बुधसिंह भंडारी जैन	१६-३-५४	१०००)	,, ,, १६५॥। बीघा जमीन माफी चाकराना है।	निल	

नं० शु०	नाम ग्राम	नाम आसामी मय जाति	तारीख	तादाद रकम	स्वयं काश्त करता है तो कितनी-कितनी जमीन कहाँ-कहाँ पर है	हाली रखकर काश्त करते हैं तो कितनी २ जमीन कहाँ-कहाँ पर है	वि० वि०
१	२	३	४	५	६	७	८
११.	किशनगढ़	सुरजमल वल्द कालूराम सीलावट	३१-३-५४	५००)	किशनगढ़ में ४५ बीघा जमीन है।	निल	
१२.	,,	नारायण वल्द रुघनाथ माली	,,	४००)	,, ,, १४।३ बीघा जमीन है।	निल	
१३.	,,	देवीलाल वल्द किशनलाल चेला	,,	५००)	,, ,, २४॥३ ,,	निल	
१४.	,,	पुसालाल भेरू माली	,,	२५०)	,, ,, ८,१४=२२ ,,	निल	
१५.	,,	घीसा वल्द हरनाथ माली	,,	५००)	,, ,, २१॥ ,,	निल	
१६.	सांवतसर	जैराम वल्द विरदा जाट	,,	५००)	,, सांवतसर में १०४। ,,	निल	
१७.	मोहनपुरा	देवकरण वल्द रूघनाथ जाट	,,	५००)	,, मोहनपुरा में २६ ,,	निल	
१८.	चीताखेड़ा	सुवा वल्द जगन्नाथ जाट	,,	५००)	,, चीताखेड़ा में ३२ ,,	निल	
१९.	किशनगढ़	अगरचन्द वल्द मिश्रीलाल गणेश वल्द अगरचन्द जामड़ महेश्वरी	,,	५००)	स्वयं काश्त में नहीं है २५ बीघा जमीन सरगाँव में है।	हाली रख कर काश्त करता है	
२०.	नलू	जानकीलाल वल्द मथुरादास साधु	,,	२००)	खुद काश्त करता है १४॥४ बीघा जमीन है नलू में।	खुद काश्त वापीदार है	
२१.	नया गाँव	गोपी वल्द पाँचू गूजर	,,	७००)	,, १८ बीघा जमीन नया गाँव में है।	,,	
२२.	किशनगढ़	अंबालाल वल्द नन्दराम ब्राह्मण	,,	७००	२८॥१ बीघा जमीन ठीहरो में है माफी की है।	हाली रख कर काश्त कराता है।	
२३.	चीतागढ़	नारायण वल्द गंगाराम जाट	,,	४५०)	९० बीघा जमीन चीता खेड़ा में है काश्त करता है।	खुद काश्तकार है।	
२४.	,,	सुगना वल्द बलदेव जाट	,,	६००)	४० बीघा जमीन चीता खेड़ा में है काश्तकार है।	,,	

नक्शा तहसील सरवाड़ बाबत तकावी तकसीम मार्च सन् १९५४ असेम्बली प्रश्न नं० १५३ आर० एम० प्रश्नकर्त्ता श्री चाँदमल मेहता

नं० शु०	नाम ग्राम	नाम आसामी मय जाति	तारीख दी जाने रकम	तादाद रकम	स्वयं काश्त करता है तो कितनी-कितनी जमीन कहाँ-कहाँ पर है	हाली रखकर काश्त करता है तो कहाँ २ कितनी २ जमीन है	वि० वि०
१	२	३	४	५	६	७	८
१.	रवीरां	जसवन्तसिंह पुत्र जोरावरसिंह राजपूत	१७-३-५४	३५०)	स्वयं काश्त करता है ४०॥१ बीघा जमीन खीरा	४०।१ बीघा खीरा	
२.	,,	चन्दा पुत्र रूपा हीरमला रेगर	,,	४००)	,, १६॥१ ,, ,, ,,	०	
३.	,,	नन्दा पुत्र घीसा जाट	,,	४५०)	,, १२॥। बीघा खीरा	०	
४.	,,	लादूराम मदनलाल पुत्र किशनलाल ब्राह्मण	,,	१००)	,, १४।।४ बीघा खीरा	०	
५.	,,	सीताराम पुत्र बोलूराम ब्रा०	,,	१००)	,, ७५। बीघा खीरा	०	
६.	,,	चन्दा पुत्र गिरधारी रेगर	,,	५००)	१२,१ बीघा खीरा स्वयं काश्त करता है।	०	
७.	ईजगरा	गंगाराम व मूला पुत्र रामांमी	,,	५००)	स्वयं काश्त करता है १४॥।३ बीघा इजगेरा	०	
८.	फतहगढ	उदा पुत्र छोटू गूजर	,,	३००)	,, ३६॥१ बीघा फतहगढ़	०	
९.	,,	मलया पुत्र नाथू गूजर	,,	२००)	,, ४,२ बीघा फतहगढ़	०	
१०.	सॉंपडूदा	संग्राम पुत्र भोमसिंह	,,	२५०)	,, ६४॥ बीघा सींपडूदा	६४॥ बीघा सोंपडूदा	
११.	चकवा	शंकरसिंह पुत्र कल्याणसिंह	,,	५००)	,, २३५॥ बीघा चकवा	२३५॥ बीघा चकवा	
१२.	,,	हरलाल पुत्र रामा चमार	,,	३००)	,, ३५।१ बीघा चकवा	०	
१३.	,,	सांवता पुत्र भोला चमार	,,	२००)	,, ७॥।३ बीघा चकवा	०	
१४.	हगतडा	मांगीलाल पुत्र बालू बलाई	२९-३-५४	३५०)	,, १८।.२ बीघा हीगतड़ा	०	
१५.	सूंपा	जसवन्तसिंह पुत्र जगन्नाथसिंह	३१-३-५४	५००)	,, ७६३॥४ बीघा सूंपा	७६३।।४ सूंपा बीघा	
				५०००)			

नक्शा तहसील रूपनगढ़ में मार्च सन् १९५४ में तकावी तकसीम की गई जिसका प्रश्न नं० १५३ आर० एम० का उत्तर

नं० शु०	नाम ग्राम	नाम आसामी मय जाति	तारीख	तादाद रकम	स्वयं काश्त करता है तो कितनी-कितनी जमीन कहाँ-कहाँ पर है	हाली रखकर काश्त करता है तो कहाँ २ कितनी २ जमीन है	वि० वि०
१	२	३	४	५	६	७	८
१.	नवाँ	हरलाल वल्द रामलाल जाट	१२-३-५४	५००)	स्वयं काश्त करता है नावां में १६५ बीघा जमीन है	निल	
२.	,,	जीवन वल्द कामड़ जाट	,,	५००)	,, १० बीघा जमीन नावां में है	,,	
३.	,,	सुरजकरण वल्द बालु जाट	,,	५००)	,, नावा में १५० बीघा जमीन है	,,	
४.	,,	काना वल्द अर्जुन जाट	१६-३-५४	३००)	,, ४० बीघा जमीन नवा में है	,,	
५.	राजपुरा	नारायण वल्द रुघनाथ रैगर	१५-३-५४	३५०)	,, राजपुरा में ६० बीघा जमीन है	,,	
६.	रघुराजपुरा	चतरा वल्द विरधा रैगर	१२-३-५४	२००)	,, रघुनाथपुरा में ६० बीघा जमीन है	,,	
७.	त्योद	गोपाल वल्द हरनाथ जाट	३१-३-५४	२००)	,, त्योद में २० बीघा जमीन है	,,	
८.	रूपनगर	श्री बंशीलाल	१२-३-५४	२००)	......	८१॥ बीघा ग्राम रूपनगर मुस्तकिल बापीदार	
९.	,,	मगना वल्द मैदा रैगर	२९-३-५४	२५०)	२० बीघा जमीन रूपनगर	निल	
१०.	,,	भंवरिया वल्द भैरू रैगर	२५-३-५४	२५०)	२० बीघा सुसरा	,,	
११.	,, सुरसरा	छीतर जाट	३१-३-५४	२५०)	४० बीघा सुसरा	,,	
१२.	,, भाँक	भंवरसिंह वल्द गणपतसिंह राजपूत	११-३-५४	५००)	१५५ बीघा ग्राम भाक	,,	
१३.	सलेमबाद	भगवतीप्रसाद अग्रवाल	२-३-५४	५००)	......	५० बीघा मुस्तकिल काश्तकार सींगलोद	
				४५००) रु०			

Page No.69

नक्शा तहसील अराई मार्च सन् १९५४ में तकावी तकसीम की गई जिसका प्रश्न नं० १५३
आर० एम० प्रश्न कर्त्ता श्री चाँदमल मेहता के उत्तर

नं० शु०	नाम ग्राम	नाम आसामी मय जाति	तारीख दी जाने रकम	तादाद रकम	स्वयं काश्त करता है तो कितनी जमीन कहाँ-कहाँ पर है	हाली रखकर काश्त करता है तो कहाँ २ कितनी २ जमीन है	वि० वि०
१	२	३	४	५	६	७	८
१.	भांभोलाव	गंगासिंह वल्द नारायणसिंह राजपूत	२७-३-५४	४००)	खुद काश्त करता है भांभोलाव में २६६॥ बीघा जमीन है	निल	
२.	गूजरवाड़ा	सुखा वल्द बन्ना जाट	,,	२००)	,, गूजरवाड़ा में ४८।१ बीघा जमीन है	,,	
३.	भीरोता	भूरा वल्द घीसा कुम्हार	,,	२००)	,, भीरोता में ५६।२ बीघा जमीन है	,,	
४.	कटसुरा	तेजा वल्द मांगू बलाई	२९-३-५४	२००)	,, भीरोता में ४॥।३ बीघा जमीन है	,,	
५.	लांबा	लादू वल्द हरलाल जाट	,,	५००)	,, लांबा में ३०॥३ बीघा जमीन है	,,	
६.	आकोडिया	नाथू वल्द जीवनदास ब्रा०	३१-३-५४	५००)	,, आकोडिया में ४०।४ बीघा जमीन है	,,	

टोटल २०००) रु०

नोट—कुल तकावी २००० रु० तकसीम की गई है प्रस्तावित आराजी सब खुद काश्त की है।

प्रश्न

१५. ११६/आर. एम. श्री भैरूँ सिंह, एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर १६—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) एन्टी इजेक्टमेंट ऑफिसर श्री बनर्जी की अदालत में सन् १९५२-५३ व ५३-५४ में कितने मुकदमात पेश हुए ?

(ख) इनमें जागीरदारों के खिलाफ कितने फैसले हुए और काश्तकारों के खिलाफ कितने ?

(ग) इनमें कितने मुकदमात में रेवेन्यू बोर्ड राजस्थान में ए. ई. ओ. के फैसले के विरुद्ध स्टे ऑर्डर्स लिए गए और किन किन तारीखों में ?

(घ) यह उपरोक्त स्टे आर्डर्स किन तारीखों में ए. ई. ओ. के पास पहुँचे ?

(ङ) ऐसे कितने मुकदमात हैं जिनमें ए. ई. ओ. के पास स्टे आर्डर्स पहुँचने के बाद ए. ई. ओ. के फैसलों के मुताबिक जमीन पर कब्जा कराया गया ?

(च) क्या यह सही है कि इस प्रकार के मामलों की शिकायत प्रमाण सहित कमिश्नर जयपुर के तहसील दांता रामगढ़ के दौरे पर पेश की गई थी ?

(छ) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

उत्तर

(क) ९९५

(ख) जागीरदारों और किसानों के बीच में १०६ मुकदमों में से ७० मुकदमे में जागीरदारों के और ३६ किसानों के विरुद्ध फैसले किये गये।

(ग) २८, बोर्ड द्वारा किन तारीखों में स्टे ऑर्डर पास किये गये, इसकी सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) इसकी सूची सदन की मेज पर पेश कर दी गई है।

(ङ) कोई नहीं।

(च) जी हाँ।

(छ) जाँच के पश्चात् वे आरोप गलत साबित हुए हैं।

S. N.	No. of cases instituted during 52-53 & 53-54	Total No. of cases decided during 52-53 & 53-54.	No. of cases decided against Jagirdars & Cultivators	No. of cases decided among cultivators	Balance	No of cases in which stay order received from Revenue Board, together with dates on which received.	No. of cases in which possesion was given according to A. E. O.'s orders after receipt of stay orders.
	695	525	70 (Jagirdars) 39 (Cultivators)	416	170	1. 2- 9-53 6. 9-10-53 1. 12-10-63 9. 22-10-53 1. 26-10-53 2. 27-10-53 1. 30-12-53 2. 22- 1-54 1. 29- 1-54 1. 9- 2-54 1. 27- 2-54 1. 22- 3-54 1. 26- 3-54	Nil